अध्याय - 2

विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है । यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक *विभागों तथा* मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों को सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है ।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा-उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित है :-

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों की प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना ।

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना ; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर-सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर-सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं ।

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना । इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है ।

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ।

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना ।

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना ।

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात् उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ।

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना ।

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है।

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना।

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधान-मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन।

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन।

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार ।

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा-शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन ।

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबधित विषय ।

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले ।

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयों पर विधान ।

(xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा कानूनी दस्तावेजों का भी अनुवाद करना ।

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन।

1.2 विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है । इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात्, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं ।

(क) विधायी विभाग का **राजभाषा खंड** मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है । यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है । राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है ।

(ख) **विधि साहित्य प्रकाशन** प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है । इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनियां भी लगाता है ।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी, सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं । प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं । प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं । विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं । विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध VI** पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है । इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है ।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है ।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: -

(क) सांविधानिक संशोधन ।

(ख) आर्थिक और कारपोरेट विधियां ।

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान ।

(घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और

(ङ) प्रकीर्ण विधियां ।

4. 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए

विधायी प्रस्तावों वाले 100 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 47 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए । इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है : –

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
2.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015
3.	कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015
4.	बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015
5.	नागरिता (संशोधन) विधेयक, 2015
6.	**मोटर यान** (संशोधन) विधेयक, 2015
7.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2015
8.	वित्त विधेयक, 2015
9.	भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2015
10.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 2015
11.	विनियोग (रेल) विधेयक, 2015
12.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015
13.	विनियोग विधेयक, 2015
14.	अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति (कर का अधिरोपण) विधेयक, 2015
15.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015
16.	विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015
17.	विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2015
18.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2015
19.	राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015
20.	प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि विधेयक, 2015
21.	सूचना प्रदाता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2014
22.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2015
23	परकाम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015
24	होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2015
25	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
26	निरसन और संशोधन (तृतीय) विधेयक, 2015
27	बेनामी संव्यवहार (संशोधन) विधेयक, 2015
28	परकाम्य लिखत **(संशोधन) विधेयक**, 2015 (2015 के अध्यादेश. 6 के स्थान पर)

29	निरसन और संशोधन (चौथा) विधेयक, 2015
30	विनियोग (रेल) सं. 3 विधेयक, 2015
31	भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2015
32	विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015
33	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2015
34	वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015
35	विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2015
36	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015
37	भारतीय न्यास (संशोधन) विधेयक, 2015
38	मध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015
39	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक, 2015
40	बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2015
41	उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2015
42	परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015
43	चीनी उपकर (संशोधन) विधेयक, 2015
44	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2015
45	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2015
46	दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक, 2015
47	राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2015

5. 01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से में एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित **26** विधेयक, अधिनियमों में अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार है :

	अधिनियम का संक्षिप्त नाम
1.	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 1)
2.	सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 2)
3.	मोटर यान अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 3)

4.	संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 4)
5.	बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 5)
6.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 6)
7.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 7)
8.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियमए 2015 ;2015 का अधिनियम सं. 8 द्ध
9.	विनियोग अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 9)
10.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 10)
11.	कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं.11)
12.	आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं.12)
13.	विनियोग (रेल) सं. 2 अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं.13)
14.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 14)
15.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 15)
16.	भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 16)
17.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 17)
18.	संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 18)
19.	निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 19)
20.	वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 20)
21.	कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 21)
22.	काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 22)
23	दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 23)
24	विनियोग (रेल) सं. 3 अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 24)
25	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 25)
26	परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 26)

6. संविधान संशोधन अधिनियम

1	संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 (1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए समझौते तथा उसके प्रोटोकॉल, जिसके अधीन भारत कोई निश्चित क्षेत्र अधिगृहित कर सकता है तथा कोई निश्चित क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित भी कर सकता है, को प्रभाव में लाने के लिए)

7. अध्यादेश

विधायी विभाग ने नौ अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान प्रख्यापित किए गए थे:-

अध्यादेश सं	संक्षिप्त भीर्शक
1	नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 1)
2	मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 2)
3	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 (2015 का 3)
4	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4)
5	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 5)
6	परकाम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 6)
7	परकाम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 (2015 का 7)
8	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का 8)
9	मध्यस्थम और सुलह (संशोधन), अध्यादेश 2015 (2015 का 9)

8. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत 2 विनियम जारी किए गएः

विनियम सं.	संक्षिप्त नाम
1	दादरा और नागर हवेली मूल्य वर्धित कर ;संशोधन) विनियम, 2015; 2015 का 1)
2	दमन और दीव मूल्य वर्धित कर ;संशोधन) विनियम, 2015; 2015 का 2)

9. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा **2967** कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

10. पुरानी विधियों का निरसनः

(i) निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 17) 35 अधिनियमों के निरसन हेतु बनाया गया।

(ii) निरसन और संशोधन अधिनियम (द्वितीय), 2015 (2015 का 19) 90 अधिनियमों के निरसन हेतु बनाया गया।

(iii) विनियोजन (निरसन) अधिनियम, 2015 758 विनियोजन अधिनियमों को निरसित करने के लिए लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा राज्य सभा में लंबित है।

(iv) निरसन और संशोधन (तृतीय) अधिनियम, 2015, 295 अधिनियमों के निरसन हेतु बनाया गया।

(v) अधिनियमों की संख्या, जिनके निरसन के लिए मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं– 422

11. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं । संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है ।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त, 01 जनवरी, 1990 तक रहा । बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है ।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है । उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं । उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है ।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

(6) इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमश: केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ-साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुर्नभुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

12. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध है :-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम, 2005

(vi) तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फस्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने छियासठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम

तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होनें इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून-पसीने से संवारा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्तता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यतंत्र, गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है, जिससे विधायी निकायों की प्रत्येक सीट अत्यधिक मूल्यवान हो गई है।

(3) निरंतर बदलते परिवेश में, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार-विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय-समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

(4) पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्कों को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु, 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार किए जाने के पश्चात, भारत के विधि आयोग ने 2015 में 'निर्वाचन सुधारों' पर अपनी 255वीं रिपोर्ट पेश की। विधायी विभाग ने 'निर्वाचन सुधारों' पर 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

13. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

वर्ष 1982 में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग दो दशक से भी ज्यादा समय में सार्वदेशिक हो पाया और वर्ष 2004 में लोक सभा के आम चुनावों के दौरान देशभर के सभी मतदान केन्द्रों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को, भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से संयुक्त रूप से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् ईसीआईएल (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद) और बीईएल (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर) के साथ मिलकर 1989 में विकसित किया गया था।

(2) वर्ष 1998 से उनका बार-बार प्रयोग एक अभूतपूर्व सफलता सिद्ध हुआ है। प्रथम चरण का आकलन वर्ष 2000 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में अंतःस्थापित अभिकल्प धारणा एवं सॉफ्टवेयर इन दो कंपनियों द्वारा विकसित किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के पूर्व निदेशक प्रो. पी.वी. इन्द्रेसन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तकनीकी समर्थन और मूल्यांकन के बाद इसके लिए पेटेंट दाखिल करवा दिया गया है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता को कई चुनावों में जांचा गया है। न्यायिक निर्णयों द्वारा भी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की दक्षता का समर्थन किया गया है।

(3) स्वामित्व एकक होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन कहीं भी आसानी से उपलब्ध होने वाला उत्पाद नहीं है । इसलिए, नई इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का प्रापण न केवल खुले टेंडर द्वारा अव्यावहारिक है बल्कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता । इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें ई सी आई एल तथा बी ई एल द्वारा विकसित और निर्मित की गई थीं

(4) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के अब तक के प्रापण का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :-

क्रम सं0	खरीद का वर्ष	कुल इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन	स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)
1.	1989-90	150000	750000000
2.	2000-2001	142631	1499880443
3.	2001-2002	135481	1422900000
4.	2002-2003	190592	2006100000
5.	2003-2004	336045	3530000000
6.	2004-2005	125681	1315400000
7.	2006-2007	250000	2893742332
8.	2008-2009	180000	1900000000
9.	2009-2010	100000 जमा 27000 बैलेट यूनिट	1139294685
10.	2013-14	382876 जमा 251651 बैलेट यूनिट	3116900000
11.	2015-16	-	2555780633
	योग	**1610430 ईवीएम जमा 409876 बैलेट यूनिट जमा 251651 सीयू**	**22129998093**

वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2014–15 के दौरान ई वी एम का कोई प्रापण नहीं किया गया।

14. मतदान फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान-पत्रों का उपयोग धीरे-धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है । निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था । निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का आधार है । निर्वाचक नामावलियों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है । ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं । एक

बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे । अतः मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है । साथ ही, आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रदान किए जाएं । निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान-पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति का प्रबोधन करता है ।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान-पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्व तरीके से प्राप्त किया जाए । मतदाता फोटो पहचान-पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं -

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं ।

(ii) मतदाताओं को अपने फोटो की प्रतियां देने की अनुमति है जोकि मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए स्कैन की जाती हैं ।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है ।

(iv) मतदाताओं के नामांकन पर ध्यान केंद्रित करने तथा ईपीआईसी बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है ।

(v) मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में निर्वाचकों को सूचित करने हेतु विशेष प्रचार अभियान चलाये गये हैं ।

(vi) यह निर्देश जारी किये गये हैं कि एक बार जारी किया गया मतदाता फोटो पहचान-पत्र नंबर मतदाता का पता बदल जाने की दशा में भी उसके जीवनपर्यंत वैध रहेगा ।

(3) इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध अद्यतन डाटा के अनुसार निम्नानुसार है ।

क सं.	राज्य का नाम	ईपीआईसी %
रा.01	आंध्र प्रदेश	100.00
रा.02	अरूणाचल प्रदेश	99.99
रा.03	असम	88.21
रा.04	बिहार	95.69
रा.05	गोवा	98.29
रा.06	गुजरात	99.99
रा.07	हरियाणा	100.00
रा.08	हिमाचल प्रदेश	100.00
रा.09	जम्मू एवं कश्मीर	89.54
रा.10	कर्नाटका	99.34
रा.11	केरल	100.00
रा.12	मध्य प्रदेश	100.00
रा.13	महाराष्ट्र	92.84
रा.14	मणिपुर	100.00
रा.15	मेघालय	100.00
रा.16	मिजोरम	100.00
रा.17	नागालैंड	98.62
रा.18	उड़ीसा	97.66
रा.19	पंजाब	100.00
रा.20	राजस्थान	99.79
रा.21	सिक्किम	100.00
रा.22	तमिलनाडु	100.00
रा.23	त्रिपुरा	100.00
रा.24	उत्तर प्रदेश	99.98
रा.25	पश्चिम बंगाल	100.00
रा.26	छत्तीसगढ़	97.37
रा.27	झारखण्ड	97.81
रा.28	उत्तराखण्ड	100.00
रा.29	तेलंगाना	100.00
सं.01	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	94.70
सं.02	चण्डीगढ़	99.95
सं.03	दादर एवं नागर हवेली	100.00
सं.04	दमन एवं दीव	97.69
सं.05	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	100.00
सं.06	लक्षद्वीप	100.00
सं.07	पुडुचेरी	99.99
	संपूर्ण भारत	98.36

15. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है । वर्ष 2015 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 220 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 21 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथ-पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को सम्प्रेषित किए गए थे । फाईल किए गए 21 नए मामलों में से 3 और पहले से लम्बित 3 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है । इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 235 मामले लम्बित हैं । सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिटरिंग की जा रही है ।

16. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2015–16 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र. सं.	कारबार का मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	223
2.	राज्य सभा प्रश्न	120
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	17
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	10
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	2
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	2
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	–
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	21
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	13
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	9

17. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति का गठन दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को 11 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था । वर्ष 2015 के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की दो बैठकें 20 मई, 2015 तथा 15 दिसंबर, 2015 को आयोजित की गईं ।

18. समवर्ती क्षेत्र में विधान

भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की (समवर्ती सूची) - सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषयों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं:-

(क) विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अप्राप्तवय; दत्तकग्रहण; विल; निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर), विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ;

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) शोधन अक्षमता और दिवाला ;

(च) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(छ) साक्ष्य और शपथ;

(ज) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(झ) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान ।

19. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वर्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की 43 रिपोर्टों को मानीटर एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

20. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

14वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेदों 102 (1) (क) और 191(1)(क) के प्रयोजन से "लाभ का पद " अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में व्यापक परिभाषा सुझाने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा यथेष्ट विचार-विमर्श करने और हितधारकों एवं राज्य सरकारों से साक्ष्य जुटाने के बाद "लाभ का पद " अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए संविधान में संशोधन की संस्तुति की गई है । तद्नुसार "लाभ का पद की संवैधानिक तथा विधिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई", विषय पर मंत्रिमंडल के लिए एक ड्राफ्ट नोट तथा साथ ही "लाभ का पद " अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए भारत का संविधान में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक इस विभाग में तैयार किया गया है तथा

सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके मत/टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से टिप्पणी अभी प्रतीक्षित हैं ।

21. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामले

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।।। से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 के दौरान आठ नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

22. राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है । 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित उनसठ संदर्भों का परीक्षण किया गया है।

23. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में ऐसे कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। इस समय डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय आई.एल.डी.आर. की पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान आई.एल.डी.आर. द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयाजित किए गए:

(i) केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में तीन महीने की अवधि का बुनियादी पाठ्यक्रम;

(ii) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम।

(2) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आई.एल.डी.आर. ने एक बुनियादी पाठ्यक्रम तथा एक मूल्यांकन पाठ्यक्रम अर्थात विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवां बुनियादी पाठ्यक्रम, अठ्ठारहवां मूल्यांकन पाठ्यक्रम तथा विधायी प्रारूपण में पहले रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया है।

24. विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवां बुनियादी पाठ्यक्रम

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तैनात अधिकारियों के लाभ हेतु 10 जुलाई, 2015 से 9 अक्तूबर, 2015 के दौरान विधायी प्रारूपण में सत्ताइसवां बुनियादी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, केरल, गोवा तथा कर्नाटका के चौदह प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया तथा पाठ्यक्रम पूर्ण किया।

25. अठ्ठारहवां मूल्यांकन पाठ्यकम

19 जनवरी से 2 फरवरी, 2015 के दौरान अठ्ठारहवें मूल्यांकन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/केंद्रीय सार्वजनिक उपकमों आदि के उनतालीस अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

26. प्रथम रिफ्रेशर पाठ्यकम

20 अप्रैल, 2015 से 19 मई, 2015 तक पहले रिफ्रेशर पाठ्यकम का आयोजन किया गया। इसमें अरूणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा दिल्ली के सात प्रशिक्षु अधिकारियों ने भाग लिया।

27. ऑन–दि–जॉब व्यावहारिक प्रशिक्षण

संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा सचिवालय द्वारा आयोजित तीसवें अंतर्राष्ट्रीय विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण कार्यकम (12 फरवरी, 2015 से 13 मार्च, 2015) के दौरान चेक रिपब्लिक, अल–सल्वादोर, एस्टोनिया, इथोपिया, घाना, हंगरी, जमैका, जार्डन, इंडोनेशिया, केन्या, कज़ाकिस्तान, लेसोथो, लिथुआनिया, मांगोलिया, म्यांमार, नौरू, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, फिलीस्तीन, पान अफ्रीकी संसद, दक्षिण अफ्रीका, स्वाज़ीलैण्ड, तंजानिया और यूक्रेन के प्रशिक्षु अधिकारियों को आई.एल.डी.आर. द्वारा विभाग के आई.एल.एस. अधिकारियों के साथ संबद्ध करके ऑन–दि–जॉब प्रशिक्षण दिया गया।

(2) आई.एल.डी.आर. की स्थापना तथा देश में विधायी परामर्शी वर्ग को दी गई उल्लेखनीय सेवा के सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 19 फरवरी, 2015 को रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया।

(3) आई.एल.डी.आर., विधायी प्रारूपण के कौशल में रूचि उत्पन्न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने तथा विधायी विभाग के कार्य की प्रकृति के विषय में जानकारी बढ़ाने हेतु विधि छात्रों के लिए स्वैच्छिक प्रशिक्षण योजना चलाता है।

(4) विधायी विभाग के आर.एफ.डी. को तैयार करके अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्रीमंडल सचिवालय में कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएमडी) आर.एफ.डी. के प्रबंधन और कार्य की जांच करता है। विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर.एफ.डी. 2014–15 के अनुसार कार्य किए गए। विभाग द्वारा आर.एफ.डी. 2014–15 में किए गए वादे के रूप में, आई.एल.डी.आर. आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई थी। परिणामस्वरूप, एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) विकसित किया गया तथा आई.एल.डी.आर. में शामिल किया गया। तत्पश्चात, आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा की गई तथा अंततः आई.एल.डी.आर. में क्यूएमएस के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर आई.एल.डी.आर. को आईएसओ 9001:2008 प्रमाणपत्र दिया गया।

28. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेबसाइट पर ''सूचना का अधिकार'' शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके । इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई-मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके । अपीलीय प्राधिकारी का ई-मेल संपर्क पता ***aa.rti.legis@nic.in*** है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता ***cpio.rti.legis@nic.in*** है ।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। 2015–16 ;1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015) के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए एक हज़ार छह सौ छियालिस (1646) आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी नवासी (89) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दो ों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आवेदनों के अनवरत प्राप्त हो रहे रूझानों को देखते हुए वर्ष 2015-16 की शेष तीन माह की अवधि के दौरान चार सौ और आवेदन प्राप्त होने की उम्मीद है । आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2015 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 5683/– रू. अर्जित किए हैं।

29. भाुद्धि अनुभाग

केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र 2015 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रकिया है। 13 राज्यों अर्थात, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, जम्मू–कश्मीर तथा दिल्ली से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ; विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभागद्ध तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं

तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2015 तक के संशोधन अधिनियमों सहित केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा केंद्रीय अधिनियमों की सूची ;वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसारद्ध को भी निकनेट तथा इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इंडिया कोड की वेबसाइट का पता है http://indiacode.nic.in

(2) वर्ष 2015 के दौरान शुद्धि अनुभाग में संसद के छब्बीस अधिनियमों की गजट प्रतियां तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्राप्त हुआ। उपर्युक्त में से, शुद्धि अनुभाग ने चार प्रमुख अधिनियम तथा 13 संशोधन अधिनियम प्राप्त किए। इस अनुभाग ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए नौ अध्यादेश प्राप्त किए।

क. वर्ष 2015 में प्राप्त किए गए प्रमुख अधिनियम हैं:–

1. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11)
2. काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22)
3. निरसन और संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 17)
4. निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2015 (2015 का 19)

ख. वर्ष 2015 के दौरान एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित प्राप्त संशोधन अधिनियम हैं:-

1. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 1)
2. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 2)
3. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 3)
4. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 4)
5. बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 5)
6. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10)
7. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 12)
8. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 14)
9. भाण्डागारण निगम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 16)
10. संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 18)
11. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 21)
12. दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 23)
13. परकाम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का 26)

* संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015

ग. इस वर्श राष्ट्रपति द्वारा लागू किए गए अध्यादेश:–

1. नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 1)
2. मोटर यान (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 2)
3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अध्यादेश,2015 (2015 का 3)
4. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4)

5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 (2015 का 5)
6. परकाम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 6)
7. परकाम्य लिखत (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2015 (2015 का 7)
8. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अध्यादेश, 2015 (2015 का 8)
9. मध्यस्थम और सुलह (संशोधन), अध्यादेश 2015 (2015 का 9)

(3) संसद के अधिनियमों के आधार पर, प्रमुख अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 2015 के दौरान, जो अधिनयिम संबंधित मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए हैं, उन्हें लागू किए जाने की तिथि तथा उनकी अधिसूचना संख्या की प्रविष्टि संबंधित अधिनियम की मास्टर प्रतियों में उचित स्थान पर कर दी गई है।

30. राजपत्र अधिसूचनाएं

मई, 2015 तक शुद्धि अनुभाग में प्राप्त सभी, भारत की राजपत्र अधिसूचनाओं को संबंधित फोल्डरों में क्रमबद्ध कर लिया गया हैं और इनकी प्रविष्टियां संबंधित रजिस्टरों में दर्ज कर दी गई है ।

31. राज्य अधिनियम

वर्ष 2015 के दौरान कुल 211 राज्य अधिनियम और 55 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है ।

32. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण-I और मुद्रण-II) विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं । इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय-वस्तु और उपाबंध, जहां-जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना शामिल है । विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् वे विधायी-I अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को "लोक सभा/राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए" प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है । ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प-सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है । इसके पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित 'पुरःस्थापित किए जाने वाले' प्रक्रम, 'लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित' प्रक्रम, 'दोनों सदनों से यथा पारित' प्रक्रम, 'अनुमति प्रति' प्रक्रम, 'हस्ताक्षर प्रति' प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात्, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए-4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है । ए-4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को

लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है ।

(2) विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है ।

(3) 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण-I तथा मुद्रण-II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :-

(क) कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2015, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015, काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015, संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 का प्रक्रमण और अधिनियमन।

(ख) 107 विधेयकों, 9 अध्यादेश तथा 3 संवैधानिक आदेशों, 2 विधायनों, 1 गजट के प्रूफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई ;

(ग) भारत का संविधान की कम्प्यूटर प्रिंटआउट तथा मुद्रित प्रतियों के 8एवीओ साइज़ की जांच की गई।

(घ) संसद के 26 अधिनियमों का संपादन तथा जांच की गई।

(ङ) केंद्रीय अधिनियमों के 11 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों की जांच की गई।

(च) वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रतियों की जांच की गई।

(छ) वर्ष 2012 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंटआउट प्रतियों की जांच की गई।

33. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी । किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख-रखाव करें । केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

(2) अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई - गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें । समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तरापृष्ठीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित

मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा ।

(3) सा.का.नि.आ.अनुभाग भारत के राजपत्र के अधीन विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जारी साधारण कानूनी नियमों और आदेशों के बारे में वर्णानुक्रम रजिस्टरों के रख-रखाव का कार्य करता है और शासकीय प्रयोजन के लिए उन्हें पुस्तक रूप में संकलित भी करता है । दिसंबर, 2013 तक के साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) तथा (ii) से संबंधित रजिस्टरों में विभिन्न अधिसूचनाओं की वर्णानुसार प्रविष्टि की जा चुकी है।

(4) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) ने वर्ष 2015 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के द्वारा जारी किए गए अधीनस्थ विधायन संबंधी भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में विभिन्न अधिसूचनाओं की गजट प्रतियां दिसंबर, 2014 तक छांट ली हैं तथा जिल्द के लिए तैयार कर ली हैं ।

(5) अधीनस्थ विधायनों के अन्तर्गत विभिन्न गजट अधिसूचनाओं की प्रविष्टियां, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में वर्णानुक्रम रजिस्टरों में कर दी गई हैं ।

(6) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की भाग-II खण्ड 4, उप खण्ड (i) और (ii) (साधारण और असाधारण) और भाग-II खण्ड 4 (साधारण और असाधारण) दिसंबर, 2014 के लिए प्राप्त अधिसूचनाओं की गजट प्रतियां छांटी ली गई हैं तथा जिल्द के लिए तैयार कर ली हैं ।

34. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशासी निकायों-आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है । इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट-पूर्व विचार-विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है । भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है । यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उतरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है । विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(2) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अनंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है । यह अनुभाग निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत निधियों को निर्गत करता है:

(क) **निर्वाचन कार्यालय :** यह निर्वाचन स्टाफ के वेतन सहित दिन प्रतिदिन के स्थापना संबंधी व्यय से संबंधित है। इस व्यय को भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमण्डल वाले) के बीच 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाता है ।

(ख) **निर्वाचक नामावली को तैयार करना और उसका मुद्रण :** यह, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशन पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (विधानमण्डल वाले) द्वारा किए गए निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण पर उपगत व्यय को छोड़कर निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण से संबंधित है ।

(ग) **लोकसभा के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार :** चुनाव जब स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं तो सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है किन्तु जब यह राज्य विधान मण्डल चुनावों के साथ आयोजित किए जाते हैं तो खर्च को दोनों के द्वारा समान अनुपात में वहन किया जाता है।

(घ) **संसद (राज्य सभा) के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार:** सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(ङ) **मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना** – यह व्यय भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) सरकारों के बीच 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाता है और यह एक आवर्ती व्यय है ।

(च) **इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई वी एम) पर व्यय और राष्ट्रपतीय तथा उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचनों पर व्यय :** सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

35. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय-समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है !

(2) भारत का संविधान का संशोधित संस्करण (अंग्रेज़ी तथा हिंदी पाठ) जिसमें सभी नए संशोधन सम्मिलित हैं, का 9 नवंबर, 2015 को मुद्रण किया जा चुका है तथा 1985 तक के केन्द्रीय अधिनियमों को डिग्लॉट रूप में भारत संहिता के पुनरीक्षित संस्करण में प्रकाशित किए जाने के लिए संकलित कर दिया गया है।

(3) वर्ष 2011 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड का पुस्तिका के रूप में मुद्रण कर लिया गया है तथा वर्ष 2012 और 2013 के लिए संसद के अधिनियमों के वार्षिक खण्ड का संकलन विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है।

(4) 10 केंद्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करणों की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मलित हैं, को तैयार और उनकी जांच की गई है, तथा आगे की कार्रवाई हेतु मुद्रण अनुभाग को भेज दी गई है।

36. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है । यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढाने के लिए भी उत्तरदायी है ।

(2) राजभाषा नीति के संबंध में सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

(क) विधायी विभाग ने 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :-

राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र को क्रमशः 91.1:, 72: तथा 63.2: से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं । सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज, संविदाएं, नोटिस आदि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं ।

(ख) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को अधिसूचित किया गया है । हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं । इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजी जा रही हैं । इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूपण करने में वृद्धि हो ।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं । इन बैठकों की

कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें **क्रमशः 23 मार्च, 2015 (पहली), 17 जून, 2015 (दूसरी), 25 अगस्त, 2015 (तीसरी) और 23 दिसंबर, 2015 (चौथी)** को आयोजित की गई थीं । यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है । समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार-विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं । समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(5) हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था । यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है । इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशिती माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नामनिर्देशिती, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के नामनिर्देशित गैर सरकारी सदस्यों के रूप में होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वर्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में सम्मिलित होते हैं ।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा इसकी पहली बैठक उदयपुर, राजस्थान में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को की गई थी।

(6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है । हिंदी भाषा के यह पाठ्यक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं । हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं । हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में **9 सितम्बर से 23 सितम्बर, 2015** तक एक ''हिंदी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया था । इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया । इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं । इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 2500/- रुपए, 2000/- रुपए, 1500/- रुपए और 500/- रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे । दिनांक **16 अक्टूबर, 2015** को

आयोजित किए गए पुरस्कार वितरण समारोह में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 66,000/- रुपए के 78 नकद पुरस्कार वितरित किए गए ।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए तीन प्रोत्साहन योजनाएं चल रही हैं । पहली योजना हिंदी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए है जिसके अधीन वर्ष के दौरान दस कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते । दूसरी योजना अंग्रेजी के उन आशुलिपिकों/टंककों के लिए है जो हिंदी आशुलेखन/टंकण का भी कार्य करते हैं । तीसरी योजना उन अधिकारियों के लिए है जो अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी श्रुतलेख देते हैं । पहली तथा दूसरी प्रोत्साहन योजना के लिए क्रमशः 10,600/- रुपए तथा 1,920/- रुपए के नकद पुरस्कार कर्मचारियों को दिए गए थे । इन योजनाओं के अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था । जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

पत्राचार, कर्मचारियों आदि से सम्बन्धित ब्यौरे उपाबंध-VII पर हैं ।

37. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :-

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनका प्रकाशन ;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी-अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था ;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद ;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद ;

(vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद ;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं ;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण ;

(x) विधिक शैली और हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूपता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य ;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण ; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन ।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरूआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है । विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं । नवीन 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ है तथा इसमें सात भागों में लगभग 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है ।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं ।

26 नवंबर, 2015 को पहले संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर भारत का संविधान का विशेष संस्करण प्रकाशित हुआ था।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं । भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था । भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) का कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिगलॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है ।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ठ किया गया है । भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 25 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है । ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2353 हो गई है ।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं । जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा । रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 83 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे । इसके अतिरिक्त, 12 अध्यादेशों, 7 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 22 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए आधार

अधिकथित करती है । उस उपधारा के खंड (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिएं । रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 24724 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई थीं ।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियमट 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं । रिपोर्ट की अवधि के दौरानट भर्ती नियमों के 3728 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया हैट *सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्र काद्गान उक्त* अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अधीन *किया गया है '*

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इण्डिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिगलॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है । यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है । यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूर्वोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर उन्हें मुद्रित कर दिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 7 डिग्लॉट संस्करण प्रकाशित किए गए हैं ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) 21 अद्यतन केंद्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट संस्करण) की प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी ; तथा

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने-अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं । इस वर्ष, केन्द्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए ।

(ग) मुद्रण से संबंधित कार्य विशेष रूप से इस अनुभाग द्वारा किया गया।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के

संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है । ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प- सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है । यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है ।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 20 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 12 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया । इसके अतिरिक्त, विधि शब्दावली (7वां संस्कण) तथा भारत का संविधान (हिंदी) (रॉयल 8 वीओ साइज) का प्रकाशन किया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(iii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं । उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2604 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया ।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है । जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है ।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 37 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 48 केंद्रीय अधिनियमों को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इन प्रादेशिक भाषाओं में तथा 20 केंद्रीय अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया । साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली तथा कोंकणीं ।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और

महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिक्ति, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेज दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषी राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की बारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014-रा.भा.खण्ड(वि.वि.) द्वारा तीन वर्ष की अवधि अथवा वर्तमान लोक सभा के कार्यकाल की अवधि के लिए किया गया है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। बारहवीं हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक का आयोजन 7 जुलाई, 2015 को उदयपुर, राजस्थान में किया गया। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :-

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना।

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास।

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना।

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन।

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी विषय से आनुषंगिक और सम्बन्धित विषय।

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। न्यायमूर्ति श्री एच.आर. मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 2014-2015 के लिए 16 स्वैच्छिक संगठनों को रू 9,50,000/- की राशि की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड का यू आर एल http://lawmin.nic.in/olwing है । विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। भर्ती नियमों/अधिसूचनाओं आदि की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने हेतु राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है।

(2) भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है । इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है ।

(3) रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोकड़ अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं । राजभाषा खंड के समूह 'क' अधिकारियों के नामों, पतों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है ।

(4) विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है ।

38. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंपा जाए । तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में ''**विधि साहित्य प्रकाशन**'' नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिह्नित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था । उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था । वर्ष 1987 में, ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' और ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' में विभाजित कर दिया गया था । बाद में, उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधायी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं । उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

(3) विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :-

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन ;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन ;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना ;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय; और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टयता हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं । प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं ।

(5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय-समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं । विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी

(हिन्दी-अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/ हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है ।

(6) ''विधि साहित्य समाचार'' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है । इसे दिसंबर, 2014 तक अद्यतन किया गया है। एक ''प्रकाशन सूची'' भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय-समय पर उपलब्ध करवाई जाती है ।

(7) निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर पर ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' जुलाई–सितंबर, 2015 तक अद्यतन कर दी गई है और ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' जनवरी–मार्च, 2015 तक अद्यतन कर दी गई है तथा ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' जनवरी–मार्च, 2015 तक अद्यतन कर दी गई है ।

वर्ष 2015 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	145
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	140
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	138

(8) पुरस्कार प्रदान करना: हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठ्य पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/- रुपए (पचास हज़ार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/- रुपए (तीस हज़ार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/- रुपए (बीस हज़ार रुपए) विधि की पांच शाखाओं में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के लिए दिए जाते हैं । वर्ष 2015 में हिंदी में विधि की 13 सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों पर रू 4,00,000/— के पुरस्कार प्रदान किए गए।

(9) **पुस्तकों का प्रकाशन** : विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा अब तक हिन्दी में 34 मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है ।

(10) संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय : संगोष्ठियों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के पश्चात, वर्ष 2015 में विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली; पटना, भागलपुर, इलाहबाद, वाराणसी, उदयपुर के जिला न्यायालयों, पटियालय हाउस, तीसहज़ारी, पटियाला हाउस, द्वारका, राहिणी, कड़कड़डूमा तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में पुस्तकों की प्रदर्शनियां लगाई गईं। इन प्रदर्शनियों में, वकीलों ने विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों में रूचि दिखाई तथा उनकी सराहना की।

1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 15,18,271/- रुपए (पंद्रह लाख अठ्ठारह हजार दो सौ इकहत्तर रुपए) का सकल विक्रय हुआ ।

39- अधिकारीयों/प्रतिनिधिमण्ल के विदेशी दौरे : विधायी विभाग

वर्ष 2015-16 के दौरान कोई अधिकारी विदेशी दौरे पर नहीं गया।

40. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निः शक्त जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है ।

(2) विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या (01.01.2016 के अनुसार) दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है। **(उपाबंध–VIII तथा IX)**

41. प्रधान लेखा कार्यालय

(1) संगठन और कृत्य

सचिव, प्रमुख लेखा प्राधिकारी होते हैं जो कि संबंधित विभाग के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से यह उत्तरदायित्व निभाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, लेखा संगठन का नेतृत्व करते हैं तथा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के माध्यम से सचिव को रिपोर्ट करते हैं। लेखा संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड और आठ वेतन एवं लेखा कार्यालय शामिल हैं।

(2) प्रधान लेखा कार्यालय प्रशासनिक और समन्वय के सभी कार्य संपादित करता है तथा मंत्रालय के खातों के समन्वयन सहित लेखा संबंधी सभी मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। प्रधान लेखा कार्यालय के लेखा संबंधी कार्यों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं–

(1) विनियोजन लेखा का प्रस्तुतीकरण,

(2) केंद्रीय लेन–देन की विवरणी का प्रस्तुतीकरण,

(3) सी.जी.ए., वित्त मंत्रालय तथा डी.जी., केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा को केंद्रीय वित्त लेखा के लिए सामग्री का प्रस्तुतीकरण,

(4) राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों को ऋण तथा अनुदान का भुगतान,

(5) पी.ए.ओ./सी.डी.डी. को चेक बुक उपलब्ध कराना,

(6) सी.जी.ए. तथा अधिकृत बैंकों के साथ संपर्क बनाए रखना। अधिकृत बैंक के माध्यम से मंत्रालय की ओर से किए गए सभी भुगतानों तथा प्राप्तियों की जांच करना और मिलान करना,

(7) आर.बी.आई. के साथ मंत्रालय से संबंधित खातों का रख–रखाव तथा नकद शेष का मिलान करना,

(8) वित्त तथा लेखा संबंधी विषयों पर विभाग को सलाह प्रदान करना,

(9) प्रबंधन लेखा प्रणाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नियमावली तैया करना,

(10) तथा संपूर्ण समन्वयन और लेखा एवं प्रशासनिक मामलों को नियंत्रित रखने के लिए सी.जी.ए. कार्यालयों के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना।

(3) वेतन एवं लेखा कार्यालय में तैयार की गई लेखांकन सूचना, प्रधान लेखा कार्यालय में समेकित की जाती है तथा तत्पश्चात, मंत्रालय/विभाग को और सरकार के समेकन के लिए सी.जी.ए. को भेजी जाती है।

(4) वेतन एवं लेखा अधिकारी और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) के कार्यः–

वेतन एवं लेखा अधिकारी, मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के लिए डीडीओ और सीडीडीओ की नियुक्ति करके अपने कार्य का निर्वहन करतें हैं। वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा अधिकृत बैंकों को जारी किए गए "साख

पत्र" के आधार पर वेतन एवं लेखा अधिकारी सीडीडीओ को एक निश्चित सीमा तक निधि परिचालित करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(5) सीडीडीओ सामान्यतः उन स्थानों पर कार्य करता है जहां वेतन एवं लेखा अधिकारी उपलब्ध नहीं होते। हालांकि, सीडीडीओ की शक्तियां वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, जीपीएफ (ग्रुप "डी") भुगतान तक ही सीमित होती हैं। सहायता अनुदान तथा राज्य सरकारों को ऋण के मामले में, वेतन एवं लेखा अधिकारी स्वीकृति के आधार पर सलाह जारी करते हुए आर.बी.आई., नागपुर के माध्यम से भुगतान प्राधिकृत करता है। भारत की समेकित निधि में से भुगतान प्रधिकृत करते समय वेतन एवं लेखा अधिकारी को यह सुनिश्चित करनर होगा कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:–

(क) यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत निधि का प्रावधान हो जिसमें सीमा–निर्धारण हो जिसके अंतर्गत ही व्यय वहन किया जा सके,

(ख) यह कि व्यय वहन संविधान तथा उसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों एवं नियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुरूप हो तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए वित्तीय नियमों एवं विनियमों के भी अनुरूप हो, तथा

(ग) यह कि व्यय का प्राधिकार देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित स्वीकृति, विशेष अथवा सामान्य, जैसा भी मामला हो, दी गई हो।

(6) वेतन एवं लेखा कार्यालय विभिन्न विभागों को सेवा प्रदान करता है। इन विभागों में डीडीओ तथा सीडीडीओ की तैनाती निम्नानुसार की गई है:

कम सं.	वेतन एवं लेखा अधिकारी	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
1	वेतन एवं लेखा कार्यालय (ई.ओ.)	5	1
2	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एल.ए.)	28	12
3	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एस.सी.आई.)	1	0
4	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एल.डी.)	1	3
5	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) नई दिल्ली	3	23
6	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) कोलकाता	8	17
7	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) मुम्बई	0	15
8	वेतन एवं लेखा कार्यालय (एम.सी.ए.) चेन्नई	0	14

(1) समयबद्ध तरीके से भुगतान करने

(2) पेंशन, भविष्य निधि तथा अन्य दावों का त्वरित निपटान करने

(3) लेखों का संलग्न करने तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण हेतु संबंधित प्राधिकारियों को लेखाकरण संबंधी सूचना उपलब्ध कराने

के लिए इस कार्यालय ने सरकारी लेखा एवं लेखा परीक्षा, गहन पुनश्चर्या प्रशिक्षण, सूचना का अधिकार अधिनिम की गत्यात्मकता, ई–लेखा, सतर्कता संबंधी मामलों, एस.क्यू.एल. तथा नेटवर्किंग, विज़ुअल बेसिक आदि जैसे विभिन्न विषयों पर नियमित अंतराल पर अपने कर्मचारियों के लिए 44 प्रशिक्षण/पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था की है।

(7) लेखा एवं भुगतान कार्य

विधि एवं न्याय मंत्रालय के लेखा संगठन के प्रमुख प्रधान लेखा नियंत्रक हैं जिन पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय आकस्मिकता तथा किराए, दरों एवं करों जैसे वैयक्तिक दावों सहित समयबद्ध तरीके से भुगतान करने, एन.एस.डी.एल. पर एन.पी.एस. ग्राहक के अंशदान को अपलोड करने, विभिन्न केंद्र प्रायोजित स्कीमों (पी.एफ.एम.एस.आई.) की निगरानी करने, वार्षिक विनियोजन लेखा, वित्तीय लेखा तथा लेखा परीक्षा महानिदेशक, केंद्रीय राजस्व के केंद्रीय लेन–देन का विवरण तैयार करने तथा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है। संबंधित मुख्य लेखा प्राधिकारियों, अर्थात विधि सचिव, विधायी विभाग तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के महापंजीयक द्वारा विधिवत अनुमोदित वर्ष 2014–15 की रिपोर्ट को समय पर तैयार कर महालेखा नियंत्रक तथा महानिदेशक (लेखा परीक्षा) को सौंप दिया गया था।

(8) ऋणों तथा ली गई अग्रिम राशि सहित व्यक्तिगत दावों का निपटान

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिम राशि सहित पेंशन एवं अन्य हकदारियों के व्यक्तिगत दावों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया गया। केंद्र तथा राज्यों के विभिन्न निकायों/संस्थानों को बिना किसी विलंब के अनुदान सहायता दी गई। निर्वाचन संबंधी व्यय में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी शीघ्रतापूर्वक तय की गई ताकि भारतीय रिर्जव बैंक, सीएएस, नागपुर के माध्यम से संबंधित राज्यों को ऋण दिया जा सके। दावों तथा अन्य भुगतानों को निपटाते समय यह सुनिश्चित किया गया कि भुगतान इससे संबंधित प्रचलित नियमों, आदेशों तथा प्रावधानों के अनुरूप ही हो तथा धोखाधड़ी/अति भुगतान न हो। यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन खातों से व्यय बजटीय आवंटन से अधिक न हों। विभिन्न यूनिटों की प्रतियों तथा उनके द्वारा किए गए व्यय के आंकड़ों के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्रतापूर्वक सूचित किया गया ताकि वो रिपोर्ट की अवधि के दौरान संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ उस कार्यालय के आंकड़ों का मिलान कर सकें।

(9) आंतरिक लेखा–परीक्षा

प्रधान लेखा कार्यालय, वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा मंत्रालयों/विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के कार्यालय आंतरिक लेखा परीक्षा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। इन कार्यालयों के अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षा को चाहिए कि वह मंत्रालय/विभाग की विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों से संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों की भी लेखा परीक्षा करें। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यकारी कार्यालयों में अनुरक्षित प्रारंभिक खातों की भी जांच करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लेखा तथा वित्तीय मामलों में नियमों तथा विनियमों, सिस्टम तथा प्रक्रियाओं का किस हद तक पालन हुआ। इस संवीक्षा में निधि खातों, ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित रिकॉर्ड सहित सभी लेखा रिकॉर्डों की जांच तथा स्टोरों, उपकरणों, उपस्करों, प्लांटों आदि के वास्तविक सत्यापन से संबंधित परीक्षण शामिल होता है। हालांकि, कर्मचारियों की कमी के कारण वर्ष 2014–15 के दौरान कोई भी लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी।

अध्याय -3

न्याय विभाग

1. संगठन एवं कार्य

न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय का एक भाग है। सचिव (न्याय) इसके अध्यक्ष है। संगठन के संरचनात्मक ढांचे में 4 संयुक्त सचिव, 6 निदेशक/उप सचिव और 7 अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग का स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 78 है जिसमें से 19 पद रिक्त हैं। इस विभाग में पदासीन वर्तमान 59 अधिकारियों में से 5 महिला अधिकारी/कर्मचारी (01 महिला परामर्शदाता सहित) कार्यरत है। कार्यरत कर्मचारियों की इस कमी को सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में न्याय विभाग में 07 परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ-साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-X** पर है।

दृष्टिकोण: न्याय प्रशासन को सुकर बनाना जो सभी के लिए न्याय की आसान पहुंच और समय पर वितरण सुनिश्चित करता है।

मिशन: उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों के नियुक्तियों के सेवाएं, सुधार न्याय प्रदायगी की तरफ न्यायिक सुधारों के लिए न्यायालयों के आधुनिकण और प्रक्रियाओं, नीतियों सहित न्यायालयों और न्यायधीशों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य:

(i) उच्चतर न्यायपालिका में पर्याप्त न्यायाधीशों की संख्या प्रदान करना।

(ii) न्याय प्रदायगी और न्याय सुधारों के लिए कार्यसूची तैयार करना और सुकर बनाना।

(iii) न्यायिक ढांचे के विकास में सहायता करना।

(iv) आईसीटी-समर्थता और न्यायालय कनैक्टिविटि को सुकर बनाना ।

(v) विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना को सुकर बनाना ।

(vi) वित्त आयोग(एफ सी) अनुदान के उपयोग को सुकर बनाना।

(vii) उपेक्षित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सुकर बनाना ।

(viii) गरीबों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के कार्यावयन के माध्यम से विधिक सहायता प्रदान करना।

(ix) संसाधन केन्द्र के रूप राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के उपयोग के सरलीकरण का समर्थन करना।

विभाग के कार्य

भारत सरकार (कार्य आवंटन नियमावली-1961, समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार, न्याय विभाग द्वारा देखे जा रहे विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित शामिल हैं:-

(i) भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन,अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

(ii) राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों नियुक्ति, त्यागपत्र और पद से हटाना, उनके वेतन,अनुपस्थिति की अनुमति (छुट्टी भत्ते सहित) के बारे में अधिकार, पेंशन और यात्रा भत्ते।

(iii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक आयुक्तों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।

(iv) उच्चतम न्यायालय का संघटन और संगठन (न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को छोडकर) (किंतु इन न्यायालय की अवमानना सहित) और इनमें लिया गया शुल्क।

(v) उच्च न्यायालयों और न्यायिक आयुक्तों के न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के प्रावधानों को छोड़कर इन न्यायालयों का गठन और आयोजन।

(vi) संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय का प्रशासन और न्यायालयों का गठन और आयोजन तथा इस प्रकार के न्यायालयों में लिया जाने वाला शुल्क।

(vii) संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी।

(viii) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन।

(ix) जिला न्यायाधीशों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवा के अन्य सदस्यों की सेवा संबंधी शर्तें।

(x) किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का किसी संघ राज्य क्षेत्र तक विस्तारित करना अथवा किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र को बाहर रखना।

(xi) गरीबों को विधिक सहायता

(xii) न्याय प्रशासन

(xiii) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार तक पहुंच।

2. न्यायाधीशों की नियुक्ति

क. भारत का उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) सँख्या 31 है। 01.01.2016 को न्यायाधीशों की सँख्या 26 है और न्यायाधीशों के पांच पद भरे जाने के लिए रिक्त हैं।

न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिनांक 29.09.2014 को नियुक्त किया गया दिनांक 02.12.2015 को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर ने दिनांक 03.12.2015 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यभार संभाल लिया।

ख. उच्च न्यायालय

01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1044 है और पदासीन न्यायाधीशों की कुल स्थिति 601 है और न्यायाधीशों की 443 रिक्तियां भरे जाने के लिए शेष हैं। दिनांक 01.04.2016 तक की अवधि के दौरान, अधिवर्षिता, पद त्याग इत्यादि की वजह से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की 54 रिक्तियां हो गई थी। उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या भी 998 से बढकर 1044 हो गई है। जैसा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लागू होने की संवैधानिक वैधता उच्च्तम न्यायालय में विचारधीन है अत: इस अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/ अतिरिक्त न्यायाधीशों की 15 नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। इसके अलावा, 13 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.05.2015 और 15.07.2015 के आदेशानुसार, विभिन्न उच्च न्यायालयों में जिन अतिरिक्त न्यायाधीशों की सेवा अवधि समाप्त हो रही थी, उनकी सेवा अवधि को तीन महीने के लिए बढा दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.12.2015 के आदेश के बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के सभी प्रस्ताव कॉलेजियम प्रणाली द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ग. विधान:

उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिए (संविधान 121 वां संशोधन) विधेयक, 2014 'और ' राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014' नामक दो विधेयक लोक सभा द्वारा दिनांक 13.08.2014 को और राज्य सभा द्वारा दिनांक 14.08.2014 को पारित गए थे।

(2) अपेक्षित संख्या में राज्य विधान सभाओं के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक की पुष्टी किए जाने के पश्चात, इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो चुकी है। संविधान (99 वाँ संशोधन) अधिनियम के रूप में अधिनियमित संविधान (121 वां संशोधन) विधेयक, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को31 दिसंबर 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। दोनों अधिनियम दिनांक 13.04.2015 को अस्तित्व में आए।

(3) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का अस्तित्व संविधान (99 वाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014, 13.04.2015 को लागू होने के फलस्वरूप समाप्त हो गया।

(4) दोनों अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने 16.10.2015 को अपना फैसला सुनाया और दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और अमान्य करने की घोषणा की। संविधान (99 वाँ संशोधन) अधिनियम को लागू करने से पहले मौजूदा रूप में कॉलेजियम प्रणाली, 2014 को ऑपरेटिव घोषित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि, कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव दिए और 19.11.2015 को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उच्चतम न्यायालय ने 16.12.2015 को अपने फैसले की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिए कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश जो चार वरिष्ठतम अवर न्यायाधीशों को शामिल कालेजियम का सर्वसम्मति के आधार पर निर्णय लेंगे। प्रणाली में सुधार के लिए पात्रता, पारदर्शिता सचिवालय की स्थापना शिकायतों और विविध जैसे विभिन्न मानदंडों पर वृहत दिशा-निर्देशों सुझाव दिए गए हैं।

3. राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत 1993 में (17.08.1993 से प्रभावी) स्थापित एक स्वायत्त शासी संस्था है। यह स्वतंत्र निकाय, न्याय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है और इसका कैम्पस भोपाल, मध्य प्रदेश में है। यह देश के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों को न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अनुसचिवीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायालय प्रबंधन तथा प्रशासन से संबंधित मामलों में सम्मेलनों, संगोष्ठियों व्याख्यानों का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए एक प्रमुख निकाय है। उक्त सोसायटी का मुख्य उददेश्य देश में राष्ट्रीय न्यायपालिका के विकास को बढ़ावा देना और न्याय का प्रशासन, न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण को मजबूत करना है।

(2) भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की आम सभा और साथ ही साथ शासी परिषद के अध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की अकादमी परिषद के अध्यक्ष भी हैं। अकादमी के मामले एक शासी परिषद द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। अकादमी पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित-पोषित है। निदेशक, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के कर्मचारियों में एक निदेशक के अलावा अपर निदेशक (अनुसंधान) का एक पद, प्रोफेसर के 3 पद, सहायक के 6 पद, अनुसंधान फैलो के 6 पद और विधि सहायक के 6 पद शामिल हैं। न्यायिक अकादमी के प्रशासनिक अधिकारियों और स्टाफ में निदेशक के अलावा, रजिस्ट्रार, अतिरिक्त राजिस्ट्रार, मुख्य लेखा अधिकारी, अनुरक्षण अभियंता और दूसरे प्रबंधकीय और प्रकार्यात्मक पद शामिल हैं।

(3) वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए सहायता अनुदान के रूप में 1074.00 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है जिसमें से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को तीन किश्तों में 750.00 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को 2014-15 की अग्रिम राशि के रूप में 152.52 लाख रूपए प्रतिधारित करने की भी अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को अब तक कुल 902.52 लाख रूपए की स्वीकृत दी गई है।

(4) अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित खातों की जांच न्याय विभाग द्वारा की गई है और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है।

4. विधान (दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2005)

दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 ,में संशोधन करते हुए दिल्ली के जिला न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 20 लाख रूपए से बढा कर 2 करोड रूपए करने की स्वीकृति भारत के राष्ट्रपति से दिनांक 10.8. 2015 को प्राप्त करने के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को दिनांक 26.10.2015 से लागू कर दिया गया है।

(2) दिल्ली के जिला न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढाने से दिल्ली उच्च न्यायालय का बोझ कम होगा और अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के निपटान में काफी सुधार होगा। 6 जिला न्यायालय परिसरों में स्थित 11 जिला न्यायालय आम जनता के लिए सुगम्य हो जाएंगे जिससे वादियों को उनके आसपास के क्षेत्र में घर के पास त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

5. कुटुंब न्यायालय

कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा सुलह को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए

कुटुंब न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 3 (1) (क) के तहत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर या कस्बे में हर क्षेत्र के लिए एक कुटुंब न्यायालय स्थापित करे। यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझे तो राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी, कुटुंब न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं।

(2) कुटुंब न्यायालयों की स्थापना के लिए मुख्य उद्देश्य और कारण निम्नांकित हैं:

(i) इस तरह के विशेष न्यायालय बनाना जो विशेष रूप से परिवार के मामलों को देखेंगे ताकि उसके पास ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए दो मुख्य कारक विशेषज्ञता और मामलों का शीघ्र निपटान हैं;

(ii) परिवार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना करना;

(iii) सस्ता उपाय प्रदान करना; और'

(iv) कार्यवाही के संचालन में लचीलापन और एक अनौपचारिक वातावरण

(3) कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए वर्ष 2002-3 में केंदीय वित्त सहायता की योजना शुरू की गई थी। योजना के अनुसार केंद्र सरकार कुटुंब न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण करने के लिए योजनागत सहायता के रूप में एक-बारगी अनुदान के रूप में 10 लाख रू. और योजनेत्तर के अंतर्गत आवर्ती लागत के रूप में 5 लाख रू. की वार्षिक सीमा के अध्याधीन कुल लागत का 50 प्रतिशत मुहैया कराया जाना अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 से इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारो को 11.50 करोड रू. का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

(4) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्तमान में 438 कुटुंब न्यायालय कार्य कर रहे हैं कुछ राज्यों ने सूचित किया है। कि और कुटुंब न्यायालय स्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(5) मार्च, 2015 में, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं की केंद्र प्रायोजित योजना के साथ कुटुंब न्यायालय योजना (प्लान) को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया। कुटुंब न्यायालय (गैर-योजना) योजना जिसके तहत जैसा कि अनुरोध किया गया था, राज्यों को कुल 2296.46 रुपए की राशि दी गई को 2016-17 में बंद कर दिया गया है क्योंकि यह संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है ।

6. न्याय क्षेत्र के बारे में 14 वाँ वित्त आयोग

न्याय विभाग का ज्ञापन

निम्नलिखित प्रस्तावों को न्याय विभाग द्वारा 14 वें वित्त आयोग के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्ताव न्यायालय सेवाओं के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित करने और न्यायालय प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित थे। इन प्रस्तावों में 9749 करोड़ रूपए की कुल वित्तीय आवश्यकता के निम्नलिखित को हस्तक्षेप शामिल थे:

1. लंबित मामलों में कमी

(i) उन जिलों में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना जहां लम्बितमामलों की अधिकता है।

क) 6 राज्यों में 100% जिले ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 500 मामलों से कम है जहां

ख) 6 राज्यों में 75% जिले ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 500 मामलों से अधिक है, लेकिन 1000 मामलों से कम है

ग) 8 राज्यों में 50% जिले ऐसे हैं जहां जिलों की प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 1000 से अधिक है लेकिन 1500 मामलों से कम है

घ) 8 राज्यों में 25% जिले ऐसे हैं जहां प्रति वर्ष प्रति न्यायाधीश निपटान 1500 से अधिक है।

(858.82 करोड़ रूपए)

(ii) निम्नांकित के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना:

क) हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, मानव तस्करी, दहेज हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों के सभी मामलों

ख) वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और एचआईवी एड्स तथा अन्य टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित वादियों से जुड़े सभी सिविल मामले;

ग) 5 साल से अधिक समय के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और संपत्ति / किराए संबंधी विवादों से जुड़े सिविल विवाद।

(4144.11 करोड़ रुपए)

(iii) उन जिलों में कुटुंब न्यायालयों की स्थापना जहां ऐसे न्यायालय नहीं हैं।

क) देश में 672 जिलों के समक्ष 408 कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 235 अतिरिक्त अदालतों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(541.06 करोड़ रूपए)

(2) मौजूदा न्यायालय परिसरों को अधिक वादी अनुकूल बनने के लिए उनकी रि-डिजाइनिंग करना

क) सुरक्षा सुनिश्चित करना और जोखिम कम करना: भूकम्पीय खतरों के जोखिम को कम करने के लिए न्यायालयों की डिजाइनिंग और रेट्रोफिटिंग,

ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त न्यायालय और न्यायालय कक्ष,

ग) कमज़ोर गवाहों के लिए बयान केन्द्रों की स्थापना।

(1400 करोड़ रूपए)

(3) आईसीटी सक्षम न्यायालयों के लिए तकनीकी सहायता में बढ़ोतरी

क) देश में आईसीटी सक्षम न्यायालयों हेतु समर्थन प्रदान करने के लिए 1600 व्यावसायिकों की आवश्यकता

(479.68 करोड़ रूपए)

(4) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के केस रिकार्ड की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण

क) उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के लंबित है और निपटाए गए मामलों के मामले के रिकॉर्ड की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण,

ख) डिजीटल फ़ाइल का आउटपुट फ़ाइल प्रारूप पीडीएफ / ए होगा या डिजिटलीकृत रिपोजिट्री की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए वाटर-मार्किंग और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी सुविधाओं के साथ इसकी उन्नत संस्करण

(752.50 करोड़ रूपए)

(5) न्याय की पहुँच बढ़ाना

(i) लॉ स्कूल के लिए समर्थन आधारित विधिक सहायता क्लीनिक (50.50 करोड़ रुपए)

(ii) लोक अदालतों का आयोजन (93.61 करोड़ रूपए)

(iii) एडीआर केंद्रों में मध्यस्थता/सुलह के लिए समर्थन (300 करोड़ रुपए)

(iv) मध्यस्थों/परामर्शकों के लिए प्रोत्साहन (503.44 करोड़ रूपए)

(6) (क) न्यायाधीशों, सरकारी वकीलों, मध्यस्थों, वकीलों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: पुनश्चर्या, चल रही

(550 करोड़ रूपए)

(ख) मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना

(75 करोड़ रूपए)

14 वें वित्त आयोग को उपर्युक्त पहलों के लिए निधियों की कुल, राज्यवार, वित्तीय आवश्यकताओं से अवगत करा दिया गया।

(7) 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश

14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध में निम्नांकित सिफारिशें शामिल हैं:-

"11.44 केन्द्र सरकार में न्याय विभाग ने एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें लंबित मामलों को कम करना, मौजूदा न्यायालय परिसरों को वादी के अधिक अनुकूल बनाने के लिए फिर से डिजाइन करना, न्याय तक पहुंच और कार्मिकों का क्षमता निर्माण को बढ़ाना जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमने नोट किया है कि राज्यों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया और विचार करने के बाद 9749 करोड़ रूपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव का विवरण अनुबंध 11.2 पर दिया गया है। हम विभाग के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर हस्तांतरण में आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त वित्तीय छूट का उपयोग करें।

7. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना- कम्प्यूटरीकरण:

क. ई-कोर्ट प्रथम चरण

वर्ष 2007 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 441.80 करोड़ रूपए की लागत से दो साल की अवधि में 13,348 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दी वर्ष 2010 में लागत और समय की अधिक खपत को ध्यान में रखते आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14,249 जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों (मार्च 2012 तक 12,000 न्यायालय और 2014 मार्च

तक 2,249 न्यायालय) के कम्प्यूटरीकरण की योजना को 935 करोड रुपए के संशोधित बजट को मंजूरी दी। मंत्री मंडल ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए 08.05.2014 को मार्च, 2015 तक समय वृद्धि प्रदान की।

इ-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य, देश में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को आईसीटी समर्थकारी बना कर नागरिकों के लिए नामित सेवाओं जैसे मामलों के पंजीकरण की स्थिति, मामले की स्थिति, कारण सूची, दैनिक आदेश शीट और अंतिम आदेश/निर्णय प्रदान करना है। परियोजना के महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं:

क) मुख्य सँघटक: साइट तैयार करना, कंप्यूटर हार्डवेयर, लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), वान के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी, मानक आवेदन सॉफ्टवेयर की स्थापना, मामलों की डाटा एंट्री, तकनीकी जनशक्ति और सेवा का प्रारंभ।

ख) अन्य सँघटक: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में बिजली बैक-अप (यूपीएस और डीजी सेट), डिजिटल हस्ताक्षर, जिला न्यायालय वेबसाइटों, सेंट्रल डाटा सेंटर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा में न्यायाधीशों के लिए इंटरनेट, आईसीटी उन्नयन के साथ लैपटॉप और प्रिंटर।

ग) समर्थकारी सँघटक: परिवर्तन प्रबंधन और पुन:इंजीनियरिंग प्रक्रिया की पहल।

घ) परिणाम: सुधार, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड में हर न्यायालय को एकीकृत कुशल और पारदर्शी सेवाओं की प्रदायगी।

नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं में मामलों का पंजीकरण, मामले की स्थिति, कारण सूची, दैनिक आदेश पत्रक और अंतिम आदेश/निर्णय शामिल हैं।

(2) परियोजना की प्रगति: 31 मार्च, 2015 के अंत में 14249 न्यायालयों (100%) को कम्प्युटरीकरण के लिए तैयार कर दिया गया है जिनमें से 13606 न्यायालयों (94.49%) में लेन अवस्थापित कर दिया गया है, 13436 न्यायालयों (94.03%) में हार्डवेयर, 13672 न्यायालयों (95.50%) में सॉफ्टवेयर संचालित हैं।

इस परियोजना की अन्य गतिविधियों पर प्रगति, नीचे दी गई है:

क. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में आईसीटी बुनियादी ढांचा अद्यतन किया गया।

ख. 14,309 न्यायिक अधिकारियों को लैपटॉप प्रदान किए गए।

ग. सेवा प्रदायगी: राष्ट्रीय ई-न्यायालय पोर्टल (http://www.ecourts.gov.in) का संचालन शुरू हो गया है। पोर्टल पर इस समय 3 करोड लंबित और निर्णीत मामलों के बारे में, मामले की स्थिति संबंधी सूचना उपलब्ध है। पोर्टल पर सांख्यकीय सूचना प्रदान करता है जिसे न्यायिक प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए उपयोग किया जा सकता है।

घ. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड 5.5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों और निर्णयों के बारे में और 24 उच्च न्यायालयों में से 22 के न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित निर्णयों के संबंध में 1.75 करोड़ से अधिक आदेशों/मामलों की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है।

ड. परिवर्तन प्रबंधन और प्रशिक्षण: सभी उच्च न्यायालयों में परिवर्तन प्रबंधन की आरंभिक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 14,000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को यूबीयूएनटीयू-लिनक्स ओएस के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है और न्यायालयों के 4000 से अधिक कर्मचारियों को मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) सॉफ्टवेयर में प्रणाली प्रशासक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। सतत परिवर्तन प्रबंधन के लिए न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों के स्तर पर मास्टर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

च. प्रक्रिया पुन:इंजीनियरिंग: सभी उच्च न्यायालयों में मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं और रूपों का अध्ययन करने और इनके सरलीकरण के लिए सुझाव देने हेतु प्रक्रिया पुन:इंजीनियरिंग समितियों का स्थापित की गई हैं।

छ. न्यायालयों और जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा: इ-कमेटी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत 5 जिलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग को सफलतापूर्वक लगाने के बाद वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण को देश भर में 495 न्यायालय परिसरों और उनकी तदनुरूपी जेलों में लगाया जा रहा है।

(3) ई-कोर्ट द्वितीय चरण:

परियोजना के दूसरे चरण को भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-कमेटी द्वारा जनवरी 2014 में (i) नए न्यायालयों, डीएलएसए/टीएलसी कार्यालयों, मौजूदा न्यायालयों में अतिरिक्त हार्डवेयर; एसजेए में कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के कंप्यूटरीकरण के व्यापक उद्देश्य के साथ न्यायालयों की आईसीटी समर्थता को आगे बढ़ाने के लिए; (Ii) कनेक्टिविटी में सुधार, क्लाउड कंप्यूटिंग,

आईसीजेएस तत्परता (Iii) न्यायालयों परिसरों में टच-स्क्रीन और प्रिंटर के साथ केंद्रीकृत फाइलिंग केन्द्र और कियोस्क (Iv) डिजिटलीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली, अधिगम प्रबंधन उपकरण, परिवर्तन प्रबंधन और वर्धित न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली; और (v) ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट गेटवे और मोबाइल अनुप्रयोग, वादी के चार्टर आदि को अंतिम रूप दिया गया था।

परियोजना के द्वितीय चरण के प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति द्वारा सितंबर, 2014 में और कैबिनेट द्वारा जुलाई, 2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया तथा इस चरण का कार्यान्वयन अगस्त, 2015 में शुरू किया गया।

न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का प्राथमिक लाभ 'कार्यप्रवाह प्रबंधन का स्वचालन' होना है। इससे न्यायालयों को डॉकेट में मामलों के प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। अंत में, आईसीटी समर्थता से न्यायालयों का कामकाज कुशल बनेगा और न्याय प्रदायगी प्रणाली पर एक समग्र सकारात्मक असर पड़ेगा। ई-कोर्ट परियोजना के द्वितीय चरण में निम्नलिखित परिणाम हासिल होने की उम्मीद है: -

(i) कम्प्यूटरीकरण अधिक से अधिक 5751 नई न्यायालयों के सभी विधिक सेवा

(ii) प्राधिकरण कार्यालयों और मजबूत हार्डवेयर के साथ राज्य न्यायिक अकादमियों।

(iii) प्रस्तावित अंतरसक्रियात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकरण सक्षम करने के लिए वैन और अतिरिक्त बेमानी कनेक्टिविटी के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के लिए देश के सभी न्यायालयों को कनेक्ट करना।

(iv) इस तरह केंद्रीकृत दाखिल केन्द्रों और टच स्क्रीन आधारित कियोस्क के रूप में

(v) नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रत्येक न्यायालय परिसर में आधारित हो।

(vi) डिजिटलीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन, न्यायिक ज्ञान प्रबंधन और सीखने के प्रबंधन के माध्यम से एक मजबूत न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का निर्माण करना।

(vii) हाथ से आयोजित उपकरणों के माध्यम से प्रक्रिया सर्विसिंग में बेहतर बदलाव के प्रबंधन और प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के माध्यम से न्यायालों के निष्पादन को सुकर बनाना।

(viii) ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और मोबाइल अनुप्रयोगों के उपयोग के माध्यम से ईसीटी समर्थकारी बढ़ाएँ।

8. न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन:

न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन अगस्त, 2011 में प्रणाली में देरी और बकाया को कम करने और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाने के द्वारा उपयोग में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य के साथ निष्पादन और क्षमताओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए

स्थापित किया गया था। मिशन, अधीनस्थ न्यायपालिका में बकाया और लंबन के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाए हुए है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटरीकरण सहित बेहतर बुनियादी ढांचा, अधीनस्थ न्यायपालिका के संख्या बल को बढाना, अत्यधिक मुकदमेबाजी के लिए प्रवण क्षेत्रों में, नीति और विधायी उपाय करना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग और मानव संसाधन विकास पर जोर शामिल है।

(2) मिशन ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में कार्यनीतिक क्षेत्रों में से प्रत्येक में कई कदम उठाए हैं। सभी राज्यों में सरकारी मुकदमेबाजी कम करने के लिए अपनी याचिका नीतियां तैयार की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य एजेंसियों द्वारा मुकदमेबाजी के प्रसार को नियंत्रित करने पर राज्य मुकदमेबाजी नीतियों के प्रभाव का आकलन करें। विधि कार्य विभाग ने राष्ट्रीय वाद नीति, 2015 तैयार की है जो सरकार के विचाराधीन है।

(3) न्यायिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण पहलू मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग से संबंधित है। प्रक्रिया सेवा की न्याय की समय पर प्रदायगी के लिए एक बड़ी अड़चन के रूप में पहचान की गई है। सिविल और आपराधिक मामलों में प्रक्रिया सेवा में सुधार के लिए एक शोध पत्र तैयार किया गया और उच्च न्यायालयों में परिचालित किया गया। शोध पत्र में दिए गए सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया कई उच्च न्यायालयों से प्राप्त हुई है। न्यायालय की प्रक्रिया और मामला प्रबंधन की री-इंजीनियरिंग का विषय उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है। प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग मिशन मोड परियोजना के तहत की जा रही है। विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यस्थता केन्द्रों को जिला और तालुका स्तर पर न्यायालय परिसरों में स्थापित किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों को सरकारी ठेके में विवाचन/मध्यस्थता खंड शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(4) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों / जजों की कमी न्यायालयों में मामलों का बैकलॉग और लंबन के लिए मुख्य कारणों में से एक है। राष्ट्रीय मिशन ने नियमित रूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ इस बात का प्रयास किया है। सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों के परिणाम स्वरूप, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों/न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 2012 के अंत में 17,715 से बढ़कर 30 जून, 2015 को 20,358 हो गई है। मिशन अब मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालयों के साथ बात कर रहा है । सभी न्यायालय पदाधिकारियों के उचित प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है।

(5) अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। राज्यों की सहायता के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1993-94 से चलाई जा रही है। इसमें न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के आवासीय आवास के निर्माण का कार्य शामिल है। योजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकारें 2011 तक बराबर बराबर अंशदान दिया करती थीं, लेकिन वर्ष 2011-12 से फंड का बंटवारा पैटर्न बदल गया और इसे संशोधित करके केंद्र सरकार का योगदान फंड का 75% कर दिया गया। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मामले में केंद्र सरकार 90% वित्त-पोषण प्रदान करती है। हालांकि, केंद्रीय वित्त पोषण इस योजना के लिए बजटीय आवंटन के अधीन है। चालू वित्त वर्ष में योजना (2015-16) के लिए 562.99 करोड़ रुपये का बजट आवंटन में से 542.62 करोड़ रुपए 31 दिसम्बर, 2015 को राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 से योजना के लिए फंड बटवारे का पैटर्न अब 75:25 से संशोधित करके 60:40 (केंद्र : राज्य) और 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए (90:10) कर दिया गया है । 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, 1993-94 से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 4919.92 करोड रुपये की राशि जारी की गई है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए 15,360 न्यायिक अधिकारियों के कार्यरत संख्या बल के समक्ष 15,558 न्यायालय हॉल उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, 2679 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं।

(6) लंबित मामलों में कमी करने का अभियान जुलाई, 2011 में पहली बार शुरू किया गया था। उच्च न्यायालयों से वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से समाज के उपेक्षित वर्गों से संबंधित लंबी अवधि से लंबित मामलों के निपटान को प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया गया। 2012 में अभियान का ध्यान पांच साल से अधिक पुराने मामलों से न्यायिक प्रणाली को मुक्त बनाने पर केंद्रित था। 2013 में लंबित मामलों में कमी करने का अभियान न्यायिक प्रणाली से अप्रभावी और बेकार मामलों को बाहर करने पर केंद्रित था। 2014 में न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने और मेगा लोक अदालत के आयोजन पर जोर दिया गया। विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों का एक परिणाम स्वरूप विभिन्न न्यायालय में मामलों के लंबन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में सफलता मिली है। उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 66,692 से घटकर 30/11/2015 को 58,879 रह गई है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 31.12.2012 को 44.34 लाख से घटकर 31.12.2014 को 41.53 लाख रह गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या 2.68 करोड़ से घटकर 31.12.2014 को 2.64 करोड़ रह गई है।

9. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39क समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त विधिक सहायता के लिए प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) भी राज्यों के लिए यह अनिवार्य करते हैं कि कि वे विधि और विधिक प्रणाली के समक्ष समानता सुनिश्चित करें जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 1987 में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर के आधार पर स्वतंत्र और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करने के लिए 9 नवम्बर, 1995 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए और इस अधिनियम के तहत उपलब्ध विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है।

(2) हर राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिलों में और राज्य में लोक अदालत का संचालन करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को विधिक सेवाएं कार्यक्रम के प्रशासन और इसको लागू करने के लिए गठित किया गया है जहां तक यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है।

(4) नालसा का कामकाज

नालसा देश भर में विधिक सेवा कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियों, सिद्धांतों, दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है और प्रभावी फ्रेम और किफायती योजनाएं बनाता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समितियों, को नियमित आधार पर निम्नलिखित मुख्य कार्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है:

I. पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना ;
II. विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का आयोजन करना और
III. ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

I. नि:शुल्क विधिक सेवाएं

नि:शुल्क विधिक सेवाओं में निम्नांकित शामिल हैं: -

क) कोर्ट फीस, फीस प्रक्रिया और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान;

ख) विधिक कार्यवाही में वकीलों की सेवा प्रदान करना;

ग) विधिक कार्यवाही में आदेश प्राप्त करना और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां की आपूर्ति।

घ) मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील, पेपर बुक की तैयारी।

मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं: -

i) महिलाएं और बच्चे;

ii) अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्य

iii) औद्योगिक कामगार

iv) बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार

v) विकलांग व्यक्ति।

vi) हिरासत में व्यक्ति

vii) व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है । (सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में सीमा 1,25,000 रुपये) है।

viii) तस्करी के शिकार मनुष्य और भिखारी

31.12.2014 तक महिलाओं, बच्चों, हिरासत में व्यक्तियों, व्यक्ति सहित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के कुल 1,77,85,875 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न नि:शुल्क विधिक सेवा प्राधिकरणों अर्थात एसएलएसए/डीएलएसए/टीएलएसए/ विधिक सहायता क्लीनिक / ग्राम विधिक देखभाल और सहायता केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। ।

कुछ राज्यों ने अधिसूचना द्वारा नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्रता के प्रयोजन के लिए वार्षिक आय सीमा में 1.5 लाख रूपए तक वृद्धि की है। देश भर में इस सीमा को 2 लाख रूपए तक बढ़ाने के लिए नालसा द्वारा केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

न्यायिक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना

नालसा (शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के अनुसार अधिनियम की धारा 12 के तहत पात्र व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल बेहद सक्षम विधिक सेवा प्रेक्टिसनरों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैनल पर नामांकित किया गया है। इस के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुभव बार में तीन साल है और पैनल वकीलों को उनकी क्षमता, ईमानदारी और उपयुक्तता का परीक्षण करने के लिए एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। अधिकांश राज्यों में, विशेषज्ञ वकीलों का अलग पैनल का प्रावधान सिविल, आपराधिक, संवैधानिक कानून, पर्यावरण कानून, श्रम कानून, परिवार कानूनों आदि से संबधित मामलों के विभिन्न प्रकारों के लिए बनाया जाता है। आवश्यकता पढ़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता को भी लिया जा सकता है यद्यपि वह पैनल में शामिल नहीं है। पैनल वकीलों को किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से जिसे उन के माध्यम से विधिक सेवाएं प्रदान की गई है, ,कोई शुल्क, पारिश्रमिक या किसी मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त करने की मनाही है।

फ्रंट ऑफिस

उपर्युक्त विनियमनों के अधीन, उन विधिक सेवा संस्थानों में फ्रंट ऑफिस स्थापित किए जाते हैं जहाँ न्यायालय समय के दौरान एक पैनल वकील और एक अथवा अधिक अर्ध विधिक स्वयंसेवी द्वारा विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब विधिक सेवा संस्थानों में 2541 फ्रंट ऑफिस स्थापित किए गए हैं जहां सितंबर 2015 तक 376911 आवेदन प्राप्त किए गए हैं।

ग्राम देखभाल और सहायता केंद्र

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लीनिक) विनियमन, 2011 के अंतर्गत नालसा ने देश बीएचआर में प्रत्येक तालुका/उप मण्डल में एक गाँव में ग्राम देखभाल और सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया है। जुलाई, 2015 तक देश बीएचआर में 9604 ग्राम देखभाल और सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पैनल वकीलों का प्रशिक्षण

अत्यधिक सक्षम वकीलों की टीम बनाने की द्रष्टि से, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू गोयल की अध्यक्षता में नालसा की समिति ने पैनल वकीलों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया जिसे 21-22 मार्च, 2015 को रांची में लोकार्पित किया गया है। यह महसूस किया गया कि उक्त माड्यूल्स पर आधारित वकीलों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कुछ सक्षम व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जो पैनल वकीलों को प्रशिक्षित करेंगे।

तदनुसार नालसा द्वारा 11-13 जुलाई, 2015, 25-27 जुलाई, 2015 और 22-24 अगस्त, 2015 के दौरान वकालत के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन माननीय न्यायमूर्ति श्री एचएल दत्तू, भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य संरक्षक, नालसा द्वारा किया गया है। यह प्रशिक्षण बहुत सफल रहा और सदस्य सचिवों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, सेवानिव्रत्त न्यायिक अधिकारियों और प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र से पैनल वकीलों सहित लगभग 120 व्यक्तियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

विधिक सेवा वकीलों के लिए शुल्क संरचना

विधिक सेवा प्राधिकारणों के पैनल में प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध वकीलों को आकर्षित करने के उद्धेश्य से, यह महसूस किया गया कि विधिक सेवा वकीलों के लिए उपर्युक्त शुल्क संरचना की आवश्यकता है। तदनुसार 17-09-2015 को आयोजित केन्द्रीय प्राधिकरण की बैठक में यह संकल्प लिया गया कि राज्य प्राधिकरणों द्वारा अदा किए जा रहे शुल्क की पर्याप्तता की जांच के लिए और भिन्न-भिन्न मामलों के लिए पैनल वकीलों को देय न्यूनतम समान शुल्क की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की जाए जिसमें श्री राजू रामाचंद्रन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल किया जाए।

II. लोक अदालत

30-09-2015 की स्थिति के अनुसार अब तक देश भर में 15.14 लाख लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। इन लोक अदालतों में न्यायालयों में लंबित मामलों तथा वाद पूर्व स्थिति के मामलों सहित 8.25 करोड़ मामलों का निपटान किया गया है। चूंकि लोक अदालत के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती इसलिए इन अनेक मामलों को ओपचारिक न्यायालय तंत्र से स्थाई रूप से हटा दिया गया है।

III. विधिक साक्षरता और जानकारी

जानकारी के लिए उपयोग किए गए औजार

- सेमिनार, संगोष्ठी, अभिभाषण, चर्चा आदि आयोजित करना।
- इश्तेहार संवितरण।
- दूरदर्शन कार्यक्रम में भागीदारी, आकाशवाणी पर लघु गीतों का प्रसारण, टॉक शो और फोन-इन प्रोग्राम सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम का आयोजन।

- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, त्रिपुरा,पुडुचेरी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों में विधिक और सामाजिक मुददों तथा विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका पर आधे घंटे के नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम दूरदर्शन/अन्य चैनलों पर प्रसारित किए जा रहे हैं।
- नागालैंड, राजस्थान और दिल्ली जैसे अन्य राज्य प्राधिकरणों, एसएलएसए भी दूरदर्शन पर अलग-अलग अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।
- आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आकाशवाणी पर इसी प्रकार के टॉक शो और फोन-इन प्रोग्राम प्रसारित किए जा रहे हैं।
- जानकारी प्रससरित करने के लिए जन संपर्क के माध्यम से मोबाइल बाहु-उपयोगिता वाहन
- नुक्कड़ नाटक, क्ठ्पुतली शो आदि।
- कुछ राज्यों में श्रव्य-दृष्य साधन जैसे लघु डॉक्यूमेंटरी ।
- मादा भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि पर आधारित विधिक मुददों पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
- पेंटिंग/स्लोगन राइटिंग/ निबंध लेखन तियोगिता, वाद विवाद और डिक्लेमेश्न, काव्य प्रतियोगिता।

मौजूदा योजनाओं को और कारगर बनेने के लिए और उपेक्षित वर्गों की व्यापक व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए 07.11.2015 को सभी विधिक सेवा संस्थानों के लिए निम्नांकित नई योजनाएँ आरंभ की गई:-

I. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (देह व्यापार और वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ित) योजना, 2015

II. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणों (असंगठित क्षेत्र में कामगारों को विधिक सेवाएँ) योजना, 2015

III. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को बाल हितैषी विधिक सेवाएँ और उनका संरक्षण) योजना, 2015

IV. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (मानसिक रोगी और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएँ) योजना, 2015

V. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (गरीबी उनेऊलन योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन) योजना, 2015

VI. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (जनजातीय अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015

VII. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नशीली दवाओं से पीड़ित को कानूनी सेवाएँ और नशीली दवाओं के खतरों का उन्मूलन) योजना, 2015

तथ्य और आंकड़े

नालसा को आवंटित सहायता अनुदान और किया व्यय (ii) विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या (iii) राष्ट्रीय लोक अदालतो में निपटाए गए मामलों की संख्या और (iv) आयोजित लोक अदालतों की संख्या, मामलों का निपटारा और मुआवजा भुगतान संबंधी आंकड़े नीचे दिए गए चार टेबल में क्रमश: देखे जा सकते हैं ।

सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (रूपए)	संशोधित अनुमान (रूपए)	आवंटित निधियां(रूपए)	प्रयुक्त निधियाँ (रूपए)
2012-13	44,50,00,000	39,00,00,000	39,00,00,000	36,92,61,090
2013-14	100,00,00,000	100,00,00,000	80,44,45,560	60,41,69,112
2014-15	142,00,00,000	137,00,00,000	82,65,42,261	56,01,70,407
2015-16	145,00,00,000	120,00,00,000	67,97,00,000	51,90,00,000

व्यक्तियों की संख्या जो विधिक सहायता और सलाह से लाभान्वित हुए हैं

अवधि	एससी	एसटी	ओबीसी	महिला	बच्चे	हिरासत में	सामान्य	कुल
अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013	45,249	41,209	65,597	71,764	9,304	47,033	9,90,127	12,70,283
अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014	29,053	24,852	56,963	59,125	8,145	54,710	19,91,644	22,24,492
अप्रैल, 2014 से मार्च, 2014	27,443	22,995	60,695	56,500	9,019	56,904	18,53,400	20,86,956
कुल	1,01,745	89,056	1,83,255	1,87,389	26,468	1,58,647	48,35,171	55,81,731

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल निपटान

दिनांक	विषय	लिए गए कुल मामले	निपटाए गए कुल मामले	समाशोधित कुल राशि(रूपए)
14.02.2015	एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत बैंकिंग मामले	16,23,084	4,20,665	1858,86,94,863
14.03.2015	राजस्व, मनरेगा, भूमि अधिग्रहण आदि	47,86,477	41,92,313	1365,26,90,578
11.04.2015	श्रम और परिवार मामले	9,28,349	5,31,872	366,04,33,969
09.05.2015 & 13.06.2015	एमएसीटी और बीमा दावे	4,71,928	3,18,724	951,55,85,479
11.07.2015	बिजली/ पानी/ दूरभाष / जन उपयोगिता विवाद	14,97,780	8,68,254	553,60,26,639
08.08.2015	एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत बैंकिंग मामले	12,01,893	3,53,167	1499,42,64,948
12.09.2015	मिश्र-योग्य आपराधिक मामले	8,97,462	5,71,741	4161,20,50,250
10.10.2015	यातायात,मामूली मामले, नगर निगम मामले	21,24,529	16,36,610	347,82,89,137
	कुल	1,35,31,502	88,93,346	7358,71,90,863

आयोजित लोक अदालतों, सुलझाए गए मामलों की संख्या और दिया गया मुआवजा

अवधि	आयोजित लोक अदालतों की संख्या	सुलझाए गए एमएसीटी मामलों की संख्या	सुलझाए गए कुल मामलों की संख्या(एमएसीटी) सहित	एमएसीटी मामलों में दिया गया मुआवजा (रूपए)
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	94,870	79,106	62,59,388	1040,14,69,322
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	1,14,231	1,17,475	90,17,100	2940,60,33,442
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	1,81,493	1,32,937	2,75,05,397	2681,64,93,305
कुल	3,90,594	3,29,518	4,27,81,885	6662,39,96,069

विधिक साक्षरता जागरूकता शिविरों की संख्या

अवधि	विधिक साक्षरता जागरूकता शिविरों की संख्या
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	64,625
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	60,904
अप्रैल 2014 से मार्च 2015	1,10,580
कुल	2,36,109

10 हाशिए पर लोगों के लिए न्याय तक पहुँच

परियोजना की अवधि: जनवरी 2013-दिसम्बर,2017

परियोजना राज्य: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

पृष्ठभूमि:

न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार यूएनडीपी समर्थन के साथ 'हाशिए के लोगों के लिए न्याय के लिए उपयोग' के बारे में एक परियोजना को लागू कर दिया गया है। परियोजना के प्रथम चरण (2009-2012) में न्याय की आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है और इस प्रयास में, एक सीमा तक हितधारकों की और जमीनी स्तर दोनों पर नीति के स्तर पर हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया है। परियोजना में 7000 पैरा-विधिक और युवा वकीलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 2 लाख लोगों तक पहुँच बनाई गयी और सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री तैयार की गई। यूएनडीपी के समर्थन के साथ परियोजना का एक नया चरण 5 साल (2013-17) की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इस चरण में, इस परियोजना के पिछले चरण में प्राप्त परिणामों को हासिल करने की कोशिश की जा रही है।

परियोजना फोकस:

- न्याय तक पहुँच के लिए और हाशिए पर समुदायों को सशक्त बनाने में बाधाओं को दूर करने के लिए रणनीति के विकास के द्वारा गरीबों के लिए न्याय तक पहुँच को मजबूत बनाना।
- गरीबों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय न्याय प्रदायगी संस्थानों की क्षमता का निर्माण।

परियोजना की गतिविधियां:

(1) **अर्ध विधिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण**

ओडिशा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ओडिशा में अर्ध विधिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की इस परियोजना के लिए समर्थन मांगा और 300 अर्ध विधिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

(2) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान में विधिक साक्षरता का समावेशन।

- परियोजना ने संकाय सदस्यों और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान, उत्तर प्रदेश के संसाधन व्यक्तियों के लिए विधिक साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण और ग्रामीण विकास राज्य संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए हिन्दी में दो विधिक साक्षरता प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए गए।
- विधिक साक्षरता पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समन्वयकों को प्रशिक्षण दिए गए ।
- न्याय विभाग और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने परियोजना राज्यों में विधिक साक्षरता को मजबूत बनाने के लिए 2 जून 2015 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(3) **बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में विधिक साक्षरता अभियान:**

न्याय विभाग ने तीन साल की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के 10 ब्लॉकों में एक विधिक साक्षरता अभियान आरंभ करने के लिए ग्रामीण विकास राज्य संस्थान के साथ एक एमओए पर हस्ताक्षर किए।

(4) **महाराष्ट्र में सुधार गृहों में किशोरों के लिए हेल्पडेस्क की स्थापना**

महाराष्ट्र में टाटा समाज विज्ञान संस्थान ने उन लोगों के लिए सामाजिक-विधिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सुधार गृहों में हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं जो किशोर न्याय प्रणाली का सामना कर रहे हैं। परियोजना टीआईएसएस द्वारा स्थापित किए गए हेल्पडेस्क को अपना समर्थन प्रदान कर रहा है।

(5) **आवाज आधारित विधिक सूचना कियोस्क की स्थापना:**

छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित 50 आवाज आधारित विधिक जानकारी कियोस्क विधिक जानकारी प्रदान करते हैं और आम जनता की विधिक जागरूकता बढ़ाते हैं ।

(6) **अभिनव विधिक सशक्तिकरण की पहल के लिए समर्थन**

परियोजना की गतिविधियों को पांच एजेंसियों अर्थात् एड इंडिया, अन्त्योदय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा और टाटा समाज विज्ञान संस्थान के साथ शुरू किया गया है। ये अभिकरण तीन परियोजना राज्य झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में विधिक सहायता और विधिक सशक्तिकरण की पहल का आयोजन कर रहे हैं।

(7) **लॉ स्कूल आधारित विधिक सहायताक्लीनिक**

टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा ने हाशिए पर लोगों को समुदाय आधारित विधिक सहायता प्रदान की है।

(8) **सीहोर, मध्य प्रदेश में विधिक जागरूकता अभियान:**

भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के 55 पंचायतों में विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। सीहोर जिले, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक तरीकों जैसे लोक थिएटर के माध्यम से विधिक जागरूकता और विधिक साक्षरता सक्षम करने के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम।

(9) **अनुसंधान और अध्ययन**

विकास में भागीदार (पीलड़ी) दिल्ली में ट्रैक अदालतों का अध्ययन कर रहा है कि इन अदालतों की प्रक्रिया महिलाओं के लिए कितनी अनुकूल आकलन हैं। पायलट अध्ययन नीति में सुधार के लिए सिफारिश प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बलात्कार के मामले में अदालत के कमरे में प्रक्रियाओं की लिंग संवेदनशीलता की जांच कर रही है।

(10) **बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम, 2012 के बारे में 10 लघु फिल्में**

बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम, 2012 के बारे में 10 लघु फिल्में परियोजना एक स्क्रीनिंग गाइड और कानून के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के लिए दूसरे के साथ एक कानून पर प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए -खिलाफ बच्चों के संरक्षण पर दो लघु फिल्मों को विकसित करना है।

(11) **एमओए ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ**

परियोजना ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, संचार और आईटी मंत्रालय से एक प्रस्ताव मिला उनकी सामान्य सेवा केंद्र झारखंड में (सीएससी) के माध्यम से विधिक साक्षरता के प्रसार के लिए। प्रस्ताव के हिसाब से एक एमओए ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और न्याय विभाग के बीच हस्ताक्षर किए गए थे आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया।

(12) **न्याय तक पहुंच, उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर**

(भारत सरकार परियोजना)

परियोजना/योजना का शीर्षक: "न्याय तक पहुँच - उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर"

प्रायोजन एजेंसी का नाम : न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय

परियोजना की अवधि : अप्रैल, 2012 - मार्च, 2017

परियोजना की कुल लागत : 30 करोड़ रुपए

11. न्याय तक पहुँच (पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर) परियोजना के अंतर्गत पहल

(1) **नागालैंड के दो सबसे पिछड़े जिले- तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिक की स्थापना:** नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सफलतापूर्वक परियोजना को पूरा कर लिया है जहां नागालैंड के सबसे आंतरिक और दूरदराज के दो जिलों तुएनसांग और मोन में 46 विधिक सहायता क्लीनिकों की स्थापना की गई है।

(2) **लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन की जरूरत:** इस अध्ययन को गैर सरकारी संगठन इम्पल्स शिलांग, मेघालय द्वारा आयोजित किया गया। यह खासकर उन लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए लोगों जो कमजोर और गरीब हैं और इसलिए उनके अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने के साधन नहीं है, एक क्षेत्र आधारित अध्ययन था। यह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और न्याय विभाग और इम्पल्स गैर सरकारी संगठन के नेटवर्क द्वारा जारी किया गया।

(3) **आठ पूर्वोत्तर राज्यों में समाज कल्याण विधान पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के अर्ध विधिक स्वयंसेवी प्रशिक्षण:** इस गतिविधि को कमेटी फॉर लीगल ऐड टू पूयर, ओडिशा में आधारित एक नागरिक समाज के संगठन द्वारा किया गया। इसने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और (प्रत्येक राज्य से 50) नागालैंड से 400 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है।

(4) **जम्मू एवं कश्मीर में मूल्यांकन अध्ययन की जरूरत**: इस अध्ययन को विधिक विभाग कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के हाशिए पर लोगों के विधिक सशक्तिकरण में अंतराल की पहचान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। अध्ययन अंतिम चरण में है।

(5) **जम्मू-कश्मीर में विधिक सहायता क्लीनिकों का समर्थन**: परियोजना, विधिक विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों का समर्थन कर रही है। गतिविधि पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।

(6) नौ परियोजना राज्यों में परियोजना दल की नियुक्ति के माध्यम से एसएलएसए को मानव संसाधन का प्रतिपादन: दो पेशेवरों (परियोजना समन्वयक और परियोजना सहायक) के दल को राज्यों के स्तर पर न्याय तक पहुँच (पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर) परियोजना की गतिविधियों का समन्वय करने और विधिक सेवा प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर (पीसी और पीए), मेघालय (पीसी और पीए) और मिजोरम (केवल पीसी) को छोड़कर सभी राज्यों में भर्तियों को पूरा किया जा चुका है।

(7) जम्मू-कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को नियंत्रित करने के लिए नीति का रूपरेखा मसौदा तैयार करना: श्रीनगर में स्थित कश्मीर फोर्ड नामक संगठन को जम्मू-कश्मीर में अनाथ बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने और अनाथालयों को नियंत्रित करने के लिए आकलन अध्ययन करने के लिए और अनाथालयों संचालन के लिए एक नीतिगत ढांचे का मसौदा तैयार करने के लिए चयनित किया गया था। यह परियोजना पूरा होने के अंतिम चरण में है।

(8) उत्तर-पूर्व में 400 पैनल वकीलों का प्रशिक्षण: गुवाहाटी में स्थित मानव अधिकार के लिए विधिक प्रकोष्ठ नामक संगठन को पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक से 50 पैनल वकीलों के प्रशिक्षण का कार्य करने के लिए चुना गया। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों (नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर) में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। नालसा की नीति में परिवर्तन के कारण इसे अन्य राज्यों के लिए बंद किया गया था।

(9) **एसएलएसए, जम्मू-कश्मीर के 225 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों का प्रशिक्षण**: रमन डेवलपमेंट्स कनसलटंट्स प्राइवेट लिमिटेड को जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में 225 अर्ध विधिक स्वयंसेवियों को प्रशिक्षित करने के लिए चुना गया था। इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। जम्मू-कश्मीर में अर्ध विधिक स्वयंसेवियों के लिए एक अनूठा अवसर साबित हुई क्योंकि उन्हें पहली बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(10) **आगामी कार्यक्रम**:

i. पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के एसआरसी के माध्यम से विधिक साक्षरता गतिविधियां।
ii. महिला एवं बाल विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चयनित जिलों में संरक्षण अधिकारियों का क्षमता निर्माण।
iii. प्रसार भारती, त्रिपुरा के सहयोग से विधि के छात्रों के माध्यम से विधिक साक्षरता
iv. विधि विभाग, नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग द्वारा लॉ कॉलेजों, वकीलों और सिविल सोसायटी का विधिक सहायता प्रशिक्षण।

12. विभाग की विविध गतिविधियां

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत न्याय विभाग ने निम्नांकित कार्य शुरू कर दिए हैं:

(क) विभाग के एक अनुभाग अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति और संबन्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी / लोक प्राधिकारी को आवेदन पत्रों का हस्तांतरण करने और आरटीआई आवेदनों/ अपीलों की प्राप्ति और निपटान के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग को त्रैमासिक रिटर्न जमा करने के लिए सीएपीआईओ नामित किया गया है।

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत अपेक्षित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा देखे जा रहे विषयों के साथ-साथ विभाग के कार्यों का विवरण आदि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://doj.gov.in) के आरटीआई पोर्टल पर रखा गया है।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के तहत सभी अवर सचिवों द्वारा देखे जा रहे विषयों के संबंध में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

(घ) सभी निदेशक / उप सचिव स्तर के अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के संदर्भ में उनके अधीन काम कर रहे अवर सचिवों जिन्हें सीपीआईओ के रूप में नामित किया गया है, के मामले में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(ड.) वर्ष 2015 (01.01.2015 से 31/12/2015) के दौरान विभाग में दस्ती रूप में प्राप्त 397 आरटीआई आवेदन और अपील और ऑनलाइन प्राप्त 1962 आरटीआई आवेदन और अपील मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबन्धित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को भेज दिए गए।

(च) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/5/2011-आईआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पैरा 1.4.1 के अनुसार विभाग सभी आरटीआई और अपील के उत्तरों को नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है।

(2) शिकायत निवारण

(i) विभाग ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत की केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण और प्रबोधन प्रणाली विभाग पोर्टल, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निवारण की एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है, की स्थापना की है। 31/12/2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 16,760 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका समाधान कर दिया गया है।

(ii) विभाग ने अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के पंजीकरण, प्रसंस्करण और निपटारे के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की है। इस तंत्र के तहत 01/04/2015 से 31/12/2015 तक 6350 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस अवधि के दौरान 4775 मामले निपटा दिए गए हैं।

(3) महिलाओं का सशक्तिकरण

कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुपालन में, 24/11/2015 को विभाग की पीड़ित महिला कर्मचारियों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठन किया गया है। समिति में तीन महिला कर्मचारी (एक गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य सहित) और दो पुरुष कर्मचारी शामिल हैं। शिकायत समिति ने 27/11/2015 को कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

(4) स्वच्छ भारत

एक स्वच्छ भारत अभियान के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर, न्याय विभाग ने अनेक गतिविधियां शुरू कीं। इस संबंध में 25 सितम्बर, 2014 से 1 अक्टूबर, 2014 तक स्वच्छता, परिसर, परिवेश, गलियारों की सफाई और पुराने रिकॉर्ड को समाप्त करने जैसी विभिन्न गतिविधियां संचालित कीं। 2 अक्टूबर, 2014 को सचिव (न्याय) द्वारा सभी कर्मचारियों को " स्वच्छता शपथ " दिलाई गई। सचिव (न्याय) के नेतृत्व में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वैच्छिक श्रमदान किया। 3 अक्टूबर, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 को, 1 नवंबर, 2014 से 31 अक्तूबर, 2015 और 1 नवंबर, 2015 से 31 अक्टूबर, 2019 के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है ।

उपाबंध-I
(अध्याय I, पैरा 2 देखें)

विधि कार्य विभाग का संगठन-चार्ट

<table>
<tr><td colspan="14">विधि सचिव
(श्री पी.के. मल्होत्रा)</td></tr>
<tr><td colspan="4">मुख्य सचिवालय \</td><td colspan="5" rowspan="2">मुख्य सचिवालय के बाहर</td><td colspan="4">शाखा सचिवालय</td><td>केंद्रीय अभिकरण अनुभाग</td></tr>
<tr><td colspan="4">अपर सचिव
(श्री दिनेश भारद्वाज)</td><td>मुंबई</td><td>कोलकाता</td><td>चैन्नै</td><td>बंगलूरु</td><td>अपर सचिव (श्रीमती सुषमा सूरी)</td></tr>
<tr><td>सं.स. एवं वि.स. (श्री सुरेश चंद्र)</td><td>सं.स. एवं वि.स. (श्री रामायण यादव)</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्री जी.सी. मिश्र)</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्री जी.एस. यादव)</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्री इंद्र कुमार) (रेलवे बोर्ड)</td><td>अभियोजन निदेशक, के.जांच ब्यूरो (श्री ओ.पी.वर्मा)</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्रीमती जोया हाडके) (मध्यस्थ, लोक उद्यम विभाग)</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्री एम.एस. तारिक) (रक्षा)</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्री एस.आर.मिश्र) (दूरसंचार))</td><td>सं.स.एवं वि.स. (श्री एच.पी. चतुर्वेदी)</td><td>व.स.अ. (श्री एस.एस. सरकार)</td><td>उ.वि.स. (श्रीमती आर.जयलक्ष्मी)</td><td>उ.वि.स. (श्री आर.गणेश वाल्टेयर)</td><td></td></tr>
</table>

संकेत सूची	
सं.स. एवं वि.स.	संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार
व.स.अ.	वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता
उ.वि.स.	उप विधि सलाहकार

उपाबंध-II

(अध्याय I, पैरा 15 (ग) (xii) देखें)

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 31.12.2015 के अनुसार प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा

	1	2	3
	कुल अधिकारी एवं कार्यरत कर्मचारी	हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है ।
विधि कार्य विभाग	469		
	4	5	6
विधि कार्य विभाग	कुल अवर श्रेणी लिपिक/टंकक	हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण दिया जाना है ।
	48		
	7	8	9
विधि कार्य विभाग	आशुलिपिकों की संख्या	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	जिन्हें हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जाना है ।
	132		

दिनांक 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्यौरा

	1	2	3	4	5	6
	हिंदी में प्राप्त पत्र	पत्र जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	पत्र जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए	भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्र	अंग्रेजी में भेजे गए पत्र
विधि कार्य विभाग	5998	किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया ।	5998	30641	19492	11149

	7	8	9	10	11	12
	तारों की कुल संख्या	हिंदी में जारी किए गए	अंग्रेजी में जारी किए गए	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	हिंदी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या	अंग्रेजी में जारी किए गए दस्तावेजों की संख्या
विधि कार्य विभाग	–	–	–	5160	-	-

	13	14	15	16		17		18		19	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	देवनागरी/द्विभाषी कम्प्यूटरों की संख्या	अंग्रेजी कम्प्यूटरों की संख्या	कर्मचारिवृन्द की कुल संख्या		हिन्दी में प्रवीण कर्मचारिवृन्द की संख्या		रबड़ की मुहरें		नाम - पट्टिकाएं	
				राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	द्विभाषिक	अंग्रेजी में	द्विभाषिक	अंग्रेजी में
विधि कार्य विभाग	300	300*	–	148	365	72	155	सभी	–	सभी	–

*सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा है ।

उपाबंध-III

(अध्याय I, पैरा 17(7) देखें)

शाखा सचिवालय, कोलकाता द्वारा अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान अधिवक्ताओं को किए गए वृत्तिक फीस के संवितरण के आंकड़े

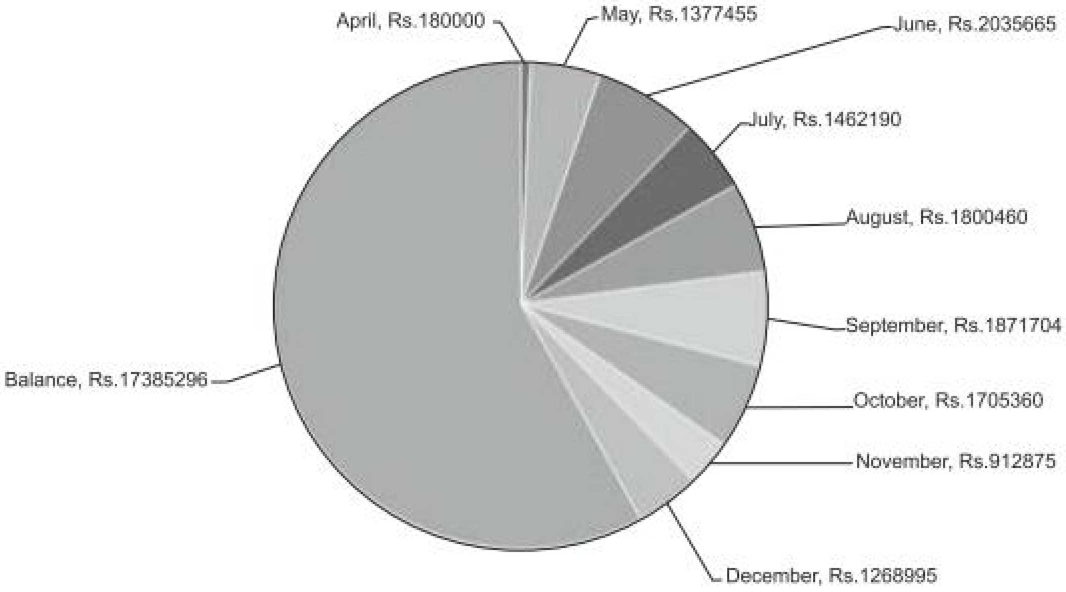

वर्ष 2015-2016 के दौरान बजट की रकम: रु. 3,00,00,000/-

दिसंबर, 2015 तक दी गई कुल रकम: रु. 12614704/-

उपाबंध IV

(अध्याय I, पैरा 29(3) देखें)

दिनांक 1 जनवरी, 2016 को सरकारी सेवकों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों का %	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों का %	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल कर्मचारियों का %	भूतपूर्व सैनिक	कुल कर्मचारियों का %	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल कर्मचारियों का %
समूह 'क'	104	20	19.23%	34	32.69%	14	13.46%	-	-	-	-
समूह 'ख'	246	37	15.04%	05	2.03%	19	7.72%	03	1.21%	03	1.21%
समूह 'ग'	119	19	15.96%	04	3.36%	09	7.56%	-	-	01	0.84%
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	179	57	31.84%	12	6.70%	24	13.40%	01	0.55%	03	1.67%
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	08	08	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	656	141	21.49%	55	8.38%	66	10.06%	04	0.60%	07	1.06%

* उपर्युक्त विवरण में विधायी विभाग ,विधि आयोग और केंद्रीय अभिकरण अनुभाग के उन वर्तमान पदों की सूचना भी शामिल है, जिनका संवर्ग नियंत्रण इस विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

वर्ष 2015 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे गए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

विधि कार्य विभाग

अनुसूचित जाति

पदों का समूह	रिक्त पदों की कुल संख्या	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 10 + 11)
	अधिसूचित*	भरे गए	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	03	15	01	04	04	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	16	07	02	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	25	01	03	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुसूचित जनजाति

पदों का समूह	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित रिक्त पदों की कुल संख्या	नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या	कमी	अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	अगले वर्ष में अग्रनीत किए गए अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	तीन वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के बाद व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	वर्ष 1980 से समीक्षाधीन वर्ष के पूर्व वर्ष तक व्यपगत हुए आरक्षणों की संख्या	व्यपगत आरक्षण का आनुक्रमिक योग (स्तंभ 19 + 20)
	स्तंभ 2 में से	स्तंभ 3 में से							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह 'क' तथा समूह 'क' की निम्नतम पंक्ति	-	-	-	–	-	-	-	-	-
समूह ख'	01	01	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	02	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

∙ सीएसएस और सीएसएसएस संवर्ग के विभिन्न पदों के संदर्भ में रिक्त पदों की गणना डीओपीटी द्वारा की जाती है। इस विभाग द्वारा केवल सीएससीएस संवर्ग के समूह ग पदों से संबंधित रिक्तियों की गणना की जाती है, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है।

*भाग II – प्रोन्नति द्वारा भरे गए पद (ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह 'क' (i)निम्नतम पंक्ति से भिन्न समूह "क" (ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	08	-	-	01	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	04	32	-	-	04	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	11	03	02	02	02	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
'क'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	01	01	01	01	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ''.(सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

भाग-III प्रोन्नति द्वारा (चयन द्वारा)भरे गए पद

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह "क" (i)निम्नतम पंक्ति से भिन्न (ii) समूह "क" की निम्नतम पंक्ति	-	10	-	-	02	-	-	-	-	-	-
समूह 'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़ कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	13	14	15	16	17	18	19	20	21
"क"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ'	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'घ' (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उपाबंध V

(अध्याय I, पैरा 30 देखें)

महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

समूह	विधि कार्य विभाग(विधायी विभाग सहित)		आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	
	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या
समूह क	104	15	121	12
समूह ख	246	84	149	26
समूह ग	119	06	256	90
समूह घ	187	15	200	11
कुल	**656**	**120**	**726**	**139**

उपाबंध VI
(अध्याय II पैरा 2 देखें)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट
(01.01.2016 की स्थिति के अनुसार)

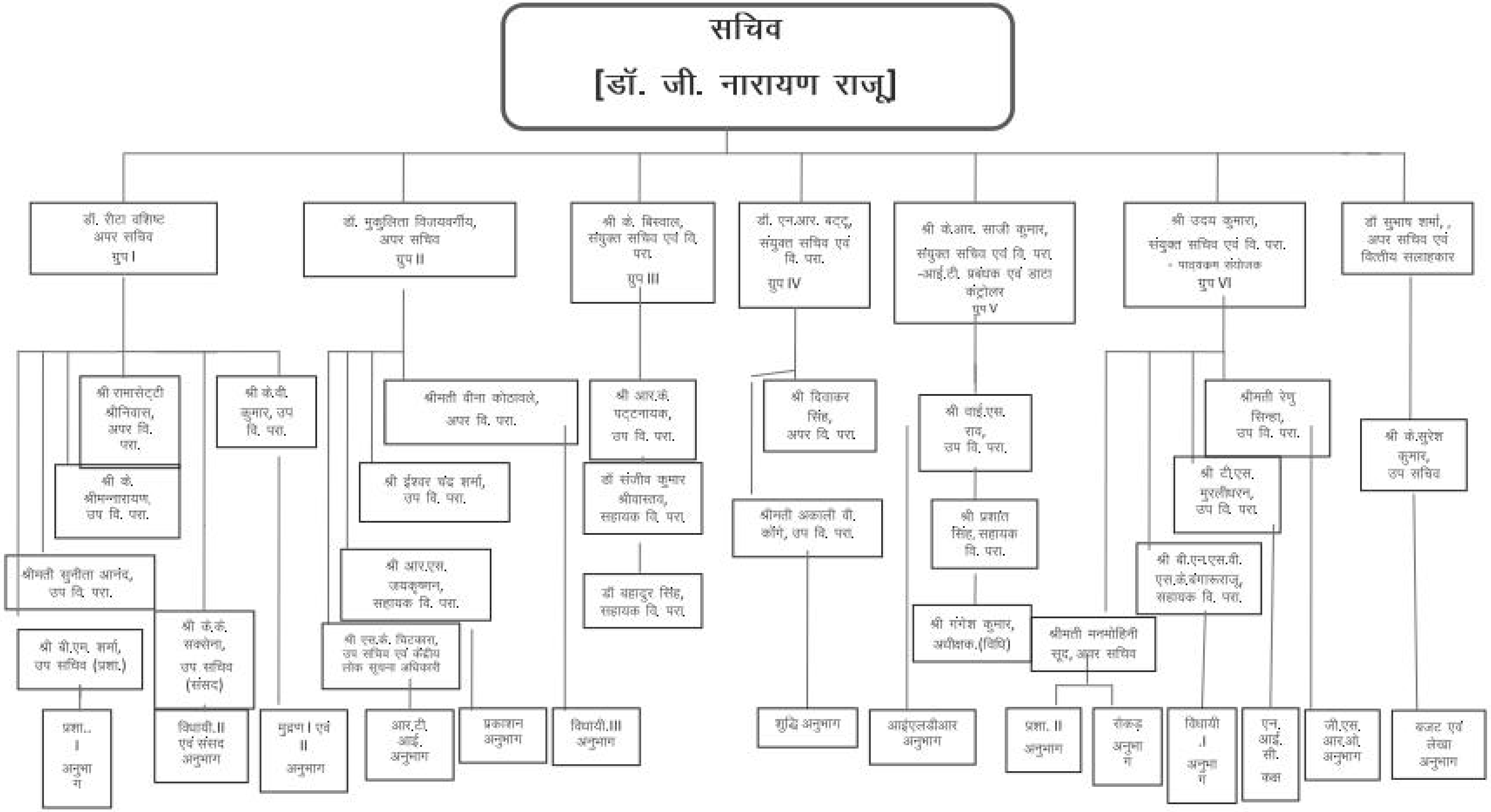

उपाबंध VII

(अध्याय II, पैरा 36(9) देखें)

हिंदी शिक्षण योजना सहित, हिंदी के प्रगामी प्रयोग का विवरण दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 की अवधि के दौरान

	1	2	3	4	5	6	7
	हिंदी में प्राप्त पत्र	उन पत्रों की संख्या जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या	जिनका उत्तर हिंदी में दिया गया	*जारी किए गए* पत्रों की कुल संख्या	हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में भेजे गए पत्रों की संख्या
विधायी विभाग	**4795**	**शून्य**	**9362**	**5871**	**10176**	**9287**	**889**

	8	9		10		11		12	
	कम्प्यूटरों की कुल संख्या	कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या		हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी वर्ग		रबर की मोहरें		नामपट्ट	
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	*द्विभाशी*	अंग्रेजी में	*द्विभाशी*	अंग्रेजी में
विधायी विभाग	**@231**	**94**	**204**	***73**	****194**	**308**	**शून्य**	**130**	**शून्य**

हिन्दी शिक्षण योजना

	1	2.	3	4	5.	6	7	8	9
	अधिकारियों तथा प्रचालन स्टाफ की कुल संख्या	हिंदी जानने वाले/हिंदी में प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या	हिंदी में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.श्रे.लि./टंककों की कुल संख्या	हिंदी टंकण में प्रशिक्षित कर्मचारी	हिंदी टंकण में अप्रशिक्षित कर्मचारी	आशुलिपिकों की कुल संख्या	हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारी	हिंदी आशुलिपि में अप्रशिक्षित कर्मचारी
विधायी विभाग	**298**	**297**	**01**	**23**	**21**	**02**	**42**	**30**	**12**

@ सभी कम्प्यूटरों पर *द्विभाशी* रूप से कार्य किया जा सकता है ।

***,** - भोष कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हैं।**

उपाबंध VIII

(अध्याय II, पैरा 40 देखें)

1 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःयुक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशक्त जन	%
ए	66	7	10.6	3	45	12	18.1	–	–	2	3.0
बी	105	21	20.0	2	1.9	8	7.6	–	–	3	2.8
सी	127	38	29.9	9	7.0	14	11.0	–	–	–	–
कुल	**298**	**66**	**22.1**	**14**	**4.6**	**34**	**11.4**	–	–	**5**	**1.6**

उपाबंध IX

(अध्याय II, पैरा 40 देखें)

01.01. 2016 की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रतिशत
श्रेणी 'ए'	66	15	22.7
श्रेणी 'बी'	105	40	38.0
श्रेणी 'सी'	127	14	11.0
कुल	**298**	**69**	**23.1**

उपाबंध X

(अध्याय III, पैरा 1 देखें)